

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत्

वर्ष- 43, अंक- 12, 1-15 फरवरी 2020



सत्यमेव जयते

भारत का संविधान

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न,
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में

आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी
(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी)
को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं।

सर्व सेवा संघ

(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रांति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 43, अंक : 12, 01-15 फरवरी 2020

अध्यक्ष

महादेव विद्रोही

संपादक

बिमल कुमार

सहसंपादक

प्रेम प्रकाश

09453219994

संपादक मंडल

डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय

सर्व सेवा संघ

राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)

फोन : 0542-2440-385/223

ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com

Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310

IFSC Code : UBIN0538353

Union Bank of India

Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय...	2
2. 1857 की विरासत और मुस्लिम औरतों...	3
3. सरकार संविधान विरोधी नहीं, तो...	5
4. दुनिया के इतिहास में महिला क्रांति...	6
5. किस बड़े गेम का हिस्सा था देविंदर!...	7
6. शुभ-संकल्प का पुण्य-पर्व....	9
7. उपन्यास - 'बा'...	11
8. गांधीजी के बारे में प्रचलित भ्रान्तियां और...	13
9. अध्यक्ष की कलम से...	15
10. लोक-विमर्श...	16
11. गतिविधियां एवं समाचार...	17
12. हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन...	19
13. कविता...	20

संपादकीय

सर्वोदय पखवारा : सर्वोदय प्रवाह

सर्वोदय-विचार और सर्वोदय कृतित्व दोनों में निरंतर विकास करने तथा निरंतर धार देने की जरूरत है। क्योंकि हम अपने विचार से भी जाने जाते हैं और अपने कृतित्व से भी। भारत जब 2020 में प्रवेश कर रहा था, तभी से देशभर में शांतिमय विरोध का एक अद्भुत अध्याय सृजित हो रहा है। लोक के स्वतःस्फूर्त आंदोलन का एक अध्याय खुल रहा है। देश की महिलाएं बिना किसी नेतृत्व के सामूहिक रूप से आंदोलनरत हैं। यह कसौटी का समय है, राजसत्ता की अनीति से टकराने के लिए संविधान का सहारा लेना होगा और लोक की वैश्विक शक्ति के प्रकटीकरण के लिए गांधी को अपनाना होगा।

गांधी को सांकेतिक कार्यक्रमों एवं आनुष्ठानिक पद्धतियों से बाहर निकालने का कार्य जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रतिरोध करने वालों ने गांधी को प्रकट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे सर्वोदय विचार के कृतित्व का केवल एक पक्ष प्रकट हो रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है, वह है वैकल्पिक रचना का। वैकल्पिक रचना, हिंसा आधारित दो प्रमुख व्यवस्थाओं का निषेध और विकल्प है। हिंसा आधारित दो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं—एक राजसत्ता की और दूसरी केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश में, रचनात्मक कार्यक्रम के नाम पर चल रहे अधिकांश प्रकल्प या तो राजसत्ता द्वारा या केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के किसी संगठन द्वारा वित्तपोषित हैं। इसी कारण इन रचनात्मक कार्यक्रमों में विकल्प का कोई चित्र प्रकट नहीं होता।

इस वर्ष का सर्वोदय पखवारा हम गांधी-150 कार्यक्रम के मध्य में आयोजित कर रहे हैं। अतः हमें यह भी मूल्यांकन करना होगा कि हम इन कार्यक्रमों के दौरान जनता के साथ कितना सार्थक संवाद बना सके। सर्वोदय के तीन प्रकार के कार्यक्षेत्र हैं—एक सघन कार्यक्षेत्र, दूसरे मजबूत संगठन वाले कार्यक्षेत्र तथा तीसरे मजबूत संपर्क वाले कार्यक्षेत्र। इन तीनों तरह के कार्यक्षेत्रों में हमने सर्वोदय विचार एवं सर्वोदय कृतित्व का कार्य कितना आगे बढ़ाया है, इस पर मनन कर आगे की योजना बनानी होगी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान चार आयामों पर बल दिया जाता था। ये थे—संघर्ष, रचना, संगठन, प्रशिक्षण एवं विचार-प्रचार। सर्वोदय पखवारा मनाने के दौर में इन आयामों की दृष्टि से भी अपना आंकलन कर, भविष्य की योजना बनानी होगी।

तात्कालिक संदर्भों का महत्व तो है, किन्तु इनमें अपनी भूमिका दूरगामी दृष्टि के अनुरूप ही होनी चाहिए। अहिंसक समाज का निर्माण तथा अहिंसक नैतिक मनुष्यों के निर्माण का लक्ष्य कभी भी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। इसमें दो बड़ी बाधाएं भी हैं। एक आज के विकास का मॉडल तथा दूसरे लोक को एकता निर्माण के विपरीत दिशा में ले जाने वाली राजनीति। हमें हर संघर्ष व आंदोलन से इस विकास के मॉडल को चुनौती देनी होगी तथा लोक की एकता में बाधा बनने वाली शक्तियों को भी कमजोर करते जाना होगा। आज राजसत्ता भी उन शक्तियों की हिमायती बन गयी है, जो जन-विरोधी विकास मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। लोक-एकता को तोड़ने वाली शक्तियां भी अस्मिता संरक्षण के छद्म नाम पर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं।

नये युग में क्रांति की रणनीति भी भिन्न होगी। यह कैडर-आधारित संगठनों पर निर्भर होने के बजाय लोक संगठनों पर आधारित होगी। अर्थात् आंदोलन से मजबूत संगठन उभरे, इसके बजाय, मजबूत लोकशक्ति प्रकट करने वाला लोक संगठन उभरे। लोक संगठनों का जाल जितना अधिक फैलता जायेगा, लोक का स्वराज्य स्थापित करने की दिशा में हम उतना ही आगे बढ़ सकेंगे। दूसरे, इस लोक संगठन व लोकसत्ता के माध्यम से अहिंसा की शक्ति प्रकट होनी चाहिए। हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग, लोक संगठन को भीड़ में बदल देंगे। तीसरे इन लोक संगठनों को लोक स्तर पर वैकल्पिक रचना का कार्य खड़े करते जाना होगा। ये वैकल्पिक रचना लोक संग्रह से तथा लोक-पूजी के माध्यम से खड़ी होगी, तभी ये विकल्प बन पायेगी। इसकी शक्ति का मूल स्रोत अंतरात्मा की शक्ति होगी, तभी ये नैतिक अहिंसक मनुष्य के निर्माण का भी माध्यम बन पायेगी।

आजादी के आंदोलन से निकले कुछ लोग राजसत्ता की राजनीति में गये तथा कुछ लोग लोकसत्ता की लोकनीति से जुड़े। लोकनीति, इस पक्ष या उस पक्ष की राजनीति को चुनौती नहीं देती, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देती है। लोकनीति से जुड़े लोग, भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में रहते हुए भी, समग्रता से एक शक्ति बनें, इसके लिए आपसी मिलाप को भी गहरा व मजबूत बनाना होगा।

—बिमल कुमार

कितने शाहीनबाग

1857 की विरासत और मुस्लिम औरतों का सीएए विरोधी आंदोलन



आम

हिंदुस्तानी के दिमाग में मुसलमान औरत की जो तस्वीर गढ़ी गई है वह सिकुड़ी-सिमटी, बेआवाज औरत की है, जो किसी घनी आबादी

वाले इलाके में बीड़ी बनाती है या घर के अंदर होने वाले दस्तकारी के कामों को अंजाम देती है। यानी घर की दहलीज ही उसका दायरा होता है। लेकिन अचानक सीएए के खिलाफ आंदोलन ने मुसलमान औरतों की उपरोक्त तस्वीर को छलनी-छलनी कर दिया। भारतीयों ने देखा कि जींस और हिजाब में गाड़ियों की छतों पर खड़ी होकर हजारों छात्रों को ललकारती लड़कियां, बैरीकेडों से छलांग लगाती, पुलिसवालों को मुट्टी भींच कर ललकारती लड़कियां आंदोलन में रंग भर रही हैं।

महज एक महीने पहले, मुस्लिम औरतों के इस रूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रातों-रात हजारों-हजार मुस्लिम औरतें सड़क पर उतर आईं। राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके शाहीनबाग की औरतों की तस्वीरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छा गईं। औरतों के इस आंदोलन को एक महीने से ज्यादा हो गया। तमाम तरह के जोखिम होने के बावजूद, इन औरतों ने एक इंच भी पीछे न हटने का ऐलान किया है।

दरअसल घर की दहलीज के बाहर न निकलने वाली मुस्लिम औरत की छवि पुरानी नहीं है। यह तस्वीर आजादी के बाद गढ़ी-बनाई गई है। हकीकत तो यह है कि भारतीय मुस्लिम औरतों के प्रतिरोध की कहानियों का पुराना इतिहास है। बावजूद इसके हमारा इतिहास, खासतौर पर महिला परिप्रेक्ष्य में इतिहास लेखन को लेकर बहुत बेरहम रहा है। इस लेखन में राजनीतिक परिदृश्य से औरतें अदृश्य रहीं, क्योंकि इतिहास लेखन अभिलेखागार के दस्तावेजों का मोहताज होता है, जहां औरतों

का इतिहास लगभग न के बराबर मिलता है। और अगर उसके साक्ष्य हैं भी तो औरत को मर्द के 'सपोर्टर' के रूप में दिखाया जाता है। आवश्यकतानुसार उन्हें आंदोलनों के साथ जोड़ा गया और जब मकसद पूरा हुआ तो वापस चारदीवारी में भेज दिया गया।

1857 के बाद सिलसिलेवार तौर पर बड़े पैमाने पर विद्रोही मुस्लिम औरतों का इतिहास मिलता है। इन औरतों का इतिहास गृह विभाग की फाइलों में, पोर्ट ब्लेयर के रिकार्डों में, ब्रिटिश डायरियों में और म्यूटिनी पेपरों में दर्ज है। इनमें सैकड़ों मुस्लिम औरतों के नाम, उनकी बहादुरी के चर्चे दर्ज हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि जब भी औरतों को लगा कि मर्द पस्त पड़ रहे हैं, उन्होंने फौरन मोर्चा संभाल लिया। दरअसल इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि यह हमेशा राजदरबार केंद्रित रहा और जब कभी औरतों की बात हुई भी, तो हरम से बाहर नहीं हो पाई।

सैय्यद मुबारक शाह का 1857 पर लिखा वृत्तांत, 1857 के गदर में रामपुर की औरतों के योगदान के बारे में बताता है। जब ब्रिटिश फौज से रामपुर के क्रांतिकारी पस्त होते दिखने लगे, तो वहां की मुस्लिम औरतें पर्दा छोड़कर बाहर आ गईं और गुस्से में मर्दों को ललकारा कि अगर लड़ नहीं सकते तो जाओ चूड़ियां पहन लो, हम देख लेंगे।

अंग्रेज इतिहासकार क्रिस्टोफर हिबर्ट का 1857 का वृत्तांत, द ग्रेट म्यूटिनी : इंडिया 1857, मुस्लिम औरतों की बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। इसमें मुजफ्फरनगर की असगरी बेगम का वाकया है, जिन्हें जिंदा जला दिया गया। इसी तरह कीथ यंग के निजी पत्रों में से एक में, जो दिल्ली-1857 के नाम से संकलित है, एक ऐसी 'बूढ़ी औरत' कैदी का जिक्र है, जिसने दो ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। यंग ने 21 जुलाई 1857 के अपने पत्र में लिखा है- क्या मैंने तुम्हें बताया कि एक औरत को बंदी बनाया गया है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वह घुड़सवार सेना का

□ फिरदौस अजमत सिद्दीकी

नेतृत्व कर रही थी और उसने अपने हाथों से हमारे दो आदमियों को मौत के घाट उतार दिया...? वह औरत बूढ़ी और बदसूरत है.'

संतोष तिवारी, जिन्होंने 1857 के गदर के वक्त के इलाहाबाद के इतिहास पर शोध किया है, ने कई क्रांतिकारी औरतों का उल्लेख किया है। इनमें मौलवी लियाकत की बेटी हाजिरा बेगम का नाम अहम है। हाजिरा बेगम रोटियां बना कर घर-घर भेजकर आंदोलनकारियों को इकट्ठा कर रही थी। गौरतलब है कि रोटी और कमल उस वक्त आंदोलन का प्रतीक था। 1857 का आंदोलन दबा दिया गया और ये औरतें भी इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं बना पाईं, जिसकी वे हकदार थीं। इधर 10-15 सालों से इस विषय पर चर्चा होने लगी है, जब इतिहास राजदरबार से जनदरबार में आया। इस दिशा में जेएनयू की एसोसिएट प्रोफेसर लता सिंह का अजीजनबाई पर काम और बदरी नारायण का झलकारी बाई पर काम अहम है। कबीर कौसर ने मुस्लिम महिलाओं के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर उल्लेखनीय काम किया है। उनका काम नीचे से इतिहास लेखन में अहम है। कौसर ने बताया है कि तकरीबन 258 मुस्लिम औरतों को सिर्फ 1857 में मुजरिम करार देकर या तो जेल या फांसी की सजा हुई। 1857 में सबसे ज्यादा मुस्लिम औरतों की हिस्सेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रही, जहां लगभग 40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली से उस इलाके की नजदीकी थी। इलाके में बहुत सारी मुगल शहजादियों ने भी आश्रय लिया था। आज भी मेरठ में हबीबा, जो जाति से गुर्जर मुस्लिम थीं, का नाम गौरव के साथ लिया जाता है। हबीबा को 1857 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जमीला नाम की बहादुर पठान को जिंदा पकड़ लिया गया और बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया।

रहीमी, लाला रुख, इबरतुन निसा, नवाब खास महल और जहां अफरोज बानो जैसी औरतों के साथ इतिहास की नाइंसाफी बनी रही

क्योंकि पूरे आंदोलन का फोकस सिर्फ क्षेत्रवार नेताओं पर रहा, जिसमें बहादुर शाह, पेशवा नाना साहिब, लियाकत अली जैसे नेताओं को तो सब जानते हैं, पर हजरत महल, जीनत महल और रानी लक्ष्मीबाई को छोड़कर शायद ही किसी औरत का जिक्र मिलता है।

फर्रुखाबाद की सकीना ने उसी जंग की हालत में बेटे को जन्म दिया। जिस दिन बेटा पैदा हुआ, उसी दिन उनके ससुर शहीद हुए। इसके कुछ दिन पहले उनके पति फौलाद खां शहीद हुए थे। उसी आपा-धापी में उनकी गोद से उनके बच्चे को उनकी आया लेकर भाग गई, जिसे पाने के लिए उन्होंने 12 साल संघर्ष किया। मुसलमान औरतों की ऐसी बहुत सी संघर्ष की कहानियां न सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ हैं, बल्कि बाद में दरबंद होने की वजह से बहुत से और भी मुद्दों का सामना औरतों को करना पड़ा। आंदोलन के बाद हुई लूटपाट और यौन हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार मुस्लिम औरतें हुईं। शायद यही वजह रही कि मुस्लिम पितृसत्तात्मक इतिहास लेखन ने महिलाओं के मुद्दे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए।

दूसरी वजह औरतों का नाम लेख, पुस्तक या अखबार में आना उस जमाने में बेपरदगी मानी जाती थी, इसलिए भी लेखकों ने लड़ाकू औरत को दिखाना नहीं चाहा। इसका बेहतरीन उदाहरण यह है कि उस दौरान जितनी भी मुस्लिम औरतें शायर थीं, वह शायर पदानशीन (यानी पर्दादार औरत) के नाम से लिखती थीं। वर्ना क्या वजह थी कि 1857 के आंदोलन के फौरन बाद असबाब-ए बगावत हिंद लिखने वाले सर सैय्यद अहमद खां इतनी अहम किताब से इन बहादुर और शहीद औरतों का नाम गायब कर देते हैं।

कानपुर का बीबीगढ़ का वाकया और भी दिलचस्प है। वहां 10-20 स्ववायर फीट के दो कमरों में 200 से ज्यादा यूरोपियन कैदी थे। इन कैदियों की देखभाल का जिम्मा दो मुस्लिम औरतों, हुसैनी खानम और उसकी मालकिन अदला, जो पेशे से तवायफ थीं, के हाथ में था और नाना साहिब के आदेश पर जब इन्हें मार देने का हुक्म हुआ तो मर्द सैनिकों ने औरतों पर हाथ उठाने से मना कर दिया लेकिन इन औरतों ने इस बात पर बहुत गुस्सा दिखाया कि दुश्मन

के साथ नरमी नहीं, सख्ती से पेश आना चाहिए। इस घटना को ब्रितानी सरकार ने बड़ा मुद्दा बनाया कि किस प्रकार नाना साहिब पेशवा ने बच्चों और औरतों के साथ क्रूरता दिखाई। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां मुस्लिम औरतें लड़ने को मजबूर हुईं, तो कई जगह उन्होंने औरतों और बच्चों की जानें भी बचाईं। पर इन सबका जिक्र सिर्फ यूरोपियन लेखों में मिलेगा, जहां मुसलमानों को एक तरह का जालिम भी दिखाने की राजनीति थी, जो 1857 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी।

1857 के साथ सबसे मुश्किल बात यह रही कि इसके बाद प्रेस पर जबरदस्त शिकंजा कस गया, जिससे समकालीन हिंदुस्तानियों ने इस मुद्दे पर बहुत कम लिखा। हमारे पास जो इस मुद्दे पर बहुत कम लिखा। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे सरकारी म्यूटिनी पेपर, ब्रिटिश डायरी और मेमायर (वृत्तान्त) हैं, जिनमें ऐसी औरतों की भूरि-भूरि प्रशंसा मिलती है। ख्वाजा निजामी की किताब बेगमात के आंसू में, जो 1907 के आस पास लिखी गई, इन औरतों की कहानियां हैं। यह एक अहम किताब है, लेकिन इसमें भी बस मुगल शहजादियों का ही जिक्र है। अन्यथा इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि उन औरतों का उसके बाद क्या योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लेखन इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि औरतों को सिर्फ जरूरत तक ही आंदोलन में शामिल किया जाता था। यहां तक कि कई औरतों को, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुईं, परिवार और समाज में स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि औरत का जेल जाना परिवार के लिए बुरा माना जाता था।

बात सिर्फ मुस्लिम औरतों तक सीमित नहीं है। इतिहास ने हिंदू औरतों के साथ भी नाइंसाफी की है। स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में आज भी काकोरी कांड के शहीदों को सम्मान के साथ याद किया जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल, अशाफाकउल्ला खां और रौशन सिंह को सब जानते हैं पर कानपुर की राजकुमारी गुप्ता, जिनकी कोकोरी कांड में बड़ी अहम भूमिका थी और जो अपने पति मदन मोहन गुप्ता के साथ जेल भी गईं, का शायद ही किसी को पता हो। जेल जाने के चलते उनकी ससुराल ने न सिर्फ राजकुमारी गुप्ता को त्याग दिया, बल्कि उन्हें घर से भी निकाल दिया।

विमेन इन दि इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेखिका सुरुचि थापर का मानना है कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाली औरतों को उनके क्लास के हिसाब से ही समझा जा सकता है, जैसे उच्च वर्ग की शिक्षित महिलाओं के साथ यह मुश्किल न थी, परंतु मध्यम वर्ग कहीं न कहीं उस इतिहास लेखन से गायब रहा है, जिसके लिए इतिहास लेखन में अब नए दृष्टिकोण- मौखिक इतिहास लेखन- के प्रचलन को स्वीकृति मिली है और नतीजे में बहुत-सी कहानियां सामने आईं, जो औरतों और आंदोलनों में उनके योगदान के लिए बड़ी अहम कड़ी है।

स्वतंत्रता के बाद यह माना गया कि सबकुछ ठीक हो गया और औरतों को उनकी घरेलू जिम्मेदारी याद करा दी गई। कुछ अपवाद स्वरूप महिलाएं जरूर थीं, जो राजनीति में सक्रिय रहीं और जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया पर राजनीति का दरवाजा आम औरतों के लिए कभी खुला नहीं रहा। औरतों के लिए 1990 के दशक के बाद तो राजनीति में सक्रिय रहना संभव ही नहीं रहा क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण और जातीयकरण हो गया।

मुसलमान औरतों के साथ तो और बुरा हुआ। आजादी के बाद वे पूरी तरह से कौम और समुदाय के लिए एक पहचान और प्रतिष्ठा का विषय बन गईं। इसकी अंतिम परिणति, 1986 में शाहबानो मामले को दबा देने से हुई। इसके बाद देश की राजनीति का तेजी से सांप्रदायिकरण हुआ और मुस्लिम औरतों की आवाज को, सांप्रदायिक उन्माद के शोर से खामोश कर दिया गया। शाहीनबाग की औरतें उस खामोशी को तोड़ रही हैं।

अच्छी बात यह है कि कैपस पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर यह मुहिम सब्जीबाग, रौशनबाग और चमनगंज तक पहुंच गई है और अब 1857 नहीं है कि प्रेस पर सेंसर है। आज फिर लाखों की तादाद में औरतें सड़कों पर उतर आई हैं। इस बार उम्मीद है कि इतिहास और इतिहासकार इन औरतों को नाउम्मीद नहीं करेंगे।

(लेखिका जामिया मिलिया इस्लामिया के सरोजनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं) □

सरकार संविधान विरोधी नहीं, तो जनता कैसे!

□ देवेन्द्र आर्य



फीस

बढ़ोत्तरी, कानून-
व्यवस्था में बेतहाशा
गिरावट, स्वास्थ्य
सेवाओं का लगातार
मंहगा होते जाना,
किसानों व बेरोज़गारों
की बढ़ती
आत्महत्याएं, पहले

गाय और अब देशभक्ति के नाम पर लिचिंग के बाद नागरिकता पर आसन्न ख़तरे! यदि यह सब संविधान विरोधी नहीं है, तो उनके विरुद्ध उठने वाली आवाज़ें संविधान विरोधी कैसे हो सकती हैं? यह सम्भव है क्या कि चुनी हुई सरकार तो संविधान सम्मत हो, पर उसे चुनने वाली जनता संविधान विरोधी हो? यदि सीएए अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, तो उसके खिलाफ़ चल रहा धरना-प्रदर्शन भी सिर्फ़ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है।

यह अजब-गज़ब है कि बिना किसी मस्जिद से खुत्वा, फ़तवा, फ़रमान जारी हुए, बिना किसी मठाधीश के मंत्र फूँके, बिना किसी राजनीतिक दल द्वारा गोलबंद किए, हाड़ कंपा देने वाली टंड में आकाश तले, ये इतने सारे लोग हाथों में तिरंगा, संविधान बचाओ की तख़्ती और अम्बेडकर का चित्र लिए चौबीस घंटों के सत्यग्रही के रूप में शहर दर शहर जमा हो रहे हैं। धमकाने, बदनाम करने, अनसुना करने, रज़ाई कम्बल छीन लेने, शौचालय में ताला लगा देने, कारोबार चौपट हो जाने के बावजूद बिना किसी हिंसा के यह कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महात्मा गांधी यूँ ही नहीं अमर हैं। गांधीवाद अहिंसक सत्याग्रह है और संवैधानिक संवाद का रास्ता बनता रहा है। आगे भी जब-जब आवाज़ और आज़ादी पर ख़तरे आएंगे, गांधी ही रास्ता दिखायेंगे।

2019 में, पहले से भी मजबूत बहुमत में आयी भाजपा सरकार ने पिछले पांच सालों के भीतर अपने 'हिंदू भारत' के धोषणा-पत्र के भव्य लोकार्पण की तैयारी कर ली थी और संविधान की शपथ लेते ही मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हुए कश्मीर की वादियों में गोले बारूद के साथ खो गई। तीन तलाक़ तो हो ही चुका था, सर्वोच्च न्यायालय से अयोध्या-पंचायत भी भाजपा एजेंडे के अनुसार हो गयी, मगर राष्ट्रभक्ति का स्वाद कुछ फीका-फीका लग रहा था। सब कुछ शांतिपूर्वक के लबादे में बलपूर्वक होते जाना मज़ा नहीं दे रहा था।

पाकिस्तानी कहने को मुंह खुजला रहा था। इसलिए देश की बेरोज़गार शांति में एन आर.सी, एन. पी. आर और सी.ए.ए का चटक मसाला डाला गया। यहां तक सब कुछ प्राइवेट सेक्टर द्वारा इंजीनियर्ड था, पर उसके बाद की इंजीनियरिंग पब्लिक सेक्टर में चली गयी। पूर्वोत्तर राज्य, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़, जेएनयू, शाहीनबाग और फिर पूरे मुल्क में महसूस होने लगा कि देश की नागरिकता पर साज़ा खतरा मंडरा रहा है। नागरिकता को हिंदू-मुस्लिम में बांटने की फितरत बेनकाब होती गयी।

असम और शाहीनबाग के गांधीवाद ने सरकारी नेताओं की गुंडई को उजागर कर दिया। संविधान की क़सम खाकर गद्दीनशीन हुए लोगों ने लफंगों की भाषा में बर्ताव शुरू कर दिया। अब किसी को दोहराने-दिखाने की भी ज़रूरत नहीं रही कि देश में अधोषित तानाशाही आ चुकी है। गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुषों के नेतृत्व में महिलाओं को धरना-प्रदर्शन से जोड़ा था। पहली बार देश की पर्दानशीन औरतें सामूहिक रूप से सड़कों पर उतरी थीं। एक दशक बाद आज गांधीवाद का अगला संस्करण यह है कि महिलाएं बिना किसी गांधी के बुलाए, सड़कों पर उतर आयी हैं और पुरुषों का ही नहीं, देशव्यापी प्रतिरोध का भी नेतृत्व कर रही हैं। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गोद में बच्चा लिए नारा लगाती महिला का चित्र नहीं देखा होगा। अब देख लीजिए। दो डिग्री सेंटीग्रेट तापमान में खुले आकाश के नीचे अपने बच्चे के साथ, उसकी बूढ़ी दादी को भी सम्हाले, आंदोलन-प्रदर्शन करती महिलाएं ! सलाम बनता है इन्हें। सलाम से अगर दिल जलने की बू आ रही हो तो प्रणाम कर लीजिए इस असली भारत माता को। ये माताएं, बहनें ही लोकतंत्र का और देश का मुस्तकबिल हैं। आज गांधी होते तो उनमें जीने की ललक बढ़ गई होती। ये वे ही औरतें हैं, जिन्हें छः महीने पहले 'हमारी मुस्लिम बहनें' कहते-कहते सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का मुंह खिया रहा था। आज उन्हें ही मातृशक्ति के ये पुजारी पांच सौ रूपये में धरने का धंधा करने वाली बता रहे हैं। यह है आपका जेहन, आपकी स्त्री-संवेदना, आपका पिलपिला ईमान। राष्ट्रवाद की रिसेपी में यह सब आता है कि नहीं ?

आखिर ऐसा सम्भव कैसे हो रहा है? हर मसले की जड़ में पाकिस्तान पर लगाया जाने वाला आरोप तो अभी तक लगा ही नहीं। विपक्ष गायब

है। फिर? इसके दो कारण समझ में आ रहे हैं। एक तो यह कि जो मध्यवर्ग अब तक केवल हिंदुओं में प्रभावी था, वह मुसलमानों में भी प्रभावी हो गया है और उसके विचार, उसके सपने हिंदू मध्यवर्ग के साथ हमराह हैं। उन्हें लग रहा है कि विकास का झुनझुना थमा कर उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर ठगा जा रहा है। इस मध्यवर्ग में बहुत बड़ी संख्या पढ़ी-लिखी महिलाओं की भी है। दूसरी बात यह कि ख़ासतौर से महिलाओं को न केवल अपना, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य खतरों में नज़र आ रहा है और उन्हें अब पुरुषों के हाथों में अपना नेतृत्व संदेहास्पद लग रहा है। पार्टियों के हाथों में भी वे मात्र वोट तक सीमित नहीं रहने देने का संकेत दे रही हैं। छात्रों, नौजवानों, बेरोज़गारों और अब नागरिकता गंवाने को आशंकित अपनी संततियों की चिंता माएं नहीं करेंगी तो कौन करेगा?

यह आंदोलन साबित कर रहा है कि जब-जब सत्ता बेलगाम होती है, उस पर लगाम कसने का काम जनता ही करती है। लगातार झूठ और वादाखिलाफी, मत-भेद को मन-भेद तक ले जाने की मंशा ही इनका विकासवाद है। पार्टी का विकास ही सबका विकास है। पार्टी कार्यकर्ता का विश्वास ही सबका विश्वास है। बहुत प्यारा रंग था भगवा। तिरंगे पर चढ़ने को तैयार। मगर एक ही लोकसभा टर्म के बाद भगई में बदल गया। गोडसे का महिमागान और गांधी को चश्मे तक सीमित करने का अभियान मंहगा पड़ना ही था। ऊपर से अम्बेडकर की दूकान! अरे गीता-कुरान तक का तो व्यवसाय ठीक था, पर संविधान की तिजारत! मनुवाद की पूंजी ही डूबने के कगार पर है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का असर यह है कि लोकतंत्र ही डूब रहा है। ये शायद चाहते भी यही हों। डेमोक्रेटिक इंडेक्स दस पायदान गिर चुका है। साढ़े पांच सालों में भारतीय लोकतंत्र विश्व में पहले से लुढ़क कर इक्यावनवें नम्बर पर चला गया है। पता नहीं अगले साढ़े चार सालों में हम कितना लुढ़केंगे।

अम्बेडकर के संविधान की बंधुत्व भावना को गोडसे की हिंदुत्व भावना में बदलने का हथ्र और क्या होना है? संसद से सड़क तक की लड़ाई भले अभी कमज़ोर दिख रही हो, सड़क से सड़क तक का संघर्ष भरपूर दिख रहा है। क्या वाकई प्रचंड बहुमत पाए मोदी के लिए 2019-24 की अवधि शेर की सवारी साबित होगी? □

दुनिया के इतिहास में महिला क्रांति की छः कहानियां

शाहीनबाग की औरतें खुद को ही शाहीनबाग नाम देना चाहती हैं। उनका विरोध है, नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी से देश में नागरिकों के लिए कानून, क्यों नागरिकों की सहमति के बिना बनाए जाते हैं? इसी सवाल के साथ पिछले एक महीने से हजारों की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इधर 10 जनवरी से कानून लागू भी हो गया है, पर इन औरतों को अब भी आस है कि उनका प्रदर्शन और धरना रंग लाएगा। दिलचस्प यह है कि इनमें से अधिकतर एक्टिविस्ट नहीं हैं। शब्दों की जादूगर भी नहीं हैं। वे सिर्फ शब्दों की अर्थवत्ता की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। अधिकतर खामोशी से बैठी हैं, पर यह खामोशी बता रही है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है।

सत्ता हमेशा माहौल के सामान्य होने का दावा करती है। लेकिन शाहीनबाग में यह दावा उसके हाथ से छीन लिया गया है; बोलकर नहीं, चुपचाप बैठकर। इन औरतों में अस्सी फीसदी गृहिणियां हैं। ये गृहिणियां अपनी बिरादरी से भी लोहा ले रही हैं, एक शक्तिशाली समूह को नाराज करने का जोखिम भी उठा रही हैं, और उन्हें इस बात की जरा सी परवाह भी नहीं है। इस खामोश प्रतिरोध के साथ वे कह रही हैं कि वे यहां हैं और यहीं रहेंगी। अपने मुस्लिमपने और हिंदूपने के साथ वे वैसे ही रहेंगी। औरतों ने बीते कई सालों के दौरान अनेक प्रकार से अपने विरोध दर्ज कराए हैं। और ऐसा दुनिया के हर कोने में हुआ है। हजारों-लाखों की संख्या में हुआ है।

जब औरतों ने राजसत्ता की नींव हिला दी

1789 में महिलाओं के प्रदर्शन से ही फ्रांसीसी क्रांति के बीज उगे थे। उन दिनों मामूली ब्रेड की कीमत भी आसमान छू रही थी। लोग भुखमरी से मर रहे थे। तब पेरिस में लगभग सात हजार औरतें इकट्ठा हुईं। उन्होंने सिटी हॉल पर कब्जा किया और यह मांग की कि अनाज के भंडारों को आम लोगों के लिए खोला जाए। पर राजसत्ता के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इसके बाद इन प्रदर्शनकारी औरतों ने फैसला किया कि वे किंग लुइस सोलहवें से सीधी गुहार लगाएंगी। औरतें 12 मील पैदल चलकर वर्साइ राजमहल तक पहुंचीं। उनका एक प्रतिनिधिमंडल राजा से मिला लेकिन राजा ने उनकी मांगें नहीं मानी। प्रदर्शनकारी महिलाएं हिंसक हो गईं और राजा को महल छोड़कर पेरिस लौटना पड़ा। इस तरह महिलाओं ने राजसत्ता की चूले हिला दीं, जिसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई।

01-15 फरवरी 2020

वोटिंग के अधिकार के लिए जुटी लाखों महिलाएं

औरतों को मताधिकार ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। इसके लिए उन्हें जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। 1908 में युनाइटेड किंगडम की विमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने कई बार सार्वजनिक स्तर पर प्रदर्शन किए। विमेन्स संडे नाम से एक प्रदर्शन में करीब ढाई लाख औरतें जमा हुईं। यह ब्रिटिश इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। 1913 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में महिलाओं ने मताधिकार परेड की थी। अमेरिकी राजधानी का यह पहला सिविल राइट्स प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में लगभग पांच हजार औरतों ने हिस्सा लिया। वैसे भारत में संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह वोट देने का समान अधिकार दिया है। इसके लिए औरतों को कभी सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा।

महिलाएं चुप रहीं, फिर भी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा

भारत में नागरिकता कानून के विरोध से पहले दक्षिण अफ्रीका में भी श्वेत सरकार के कानून पर औरतें उबल चुकी हैं। यह कानून था, अपारथाइड पास लॉज। ये कानून अश्वेत लोगों के मूवमेंट्स पर पाबंदी लगाता था। इसके खिलाफ 9 अगस्त, 1956 को प्रिटोरिया की यूनियन्स बिल्डिंग तक करीब 20 हजार औरतों ने मार्च किया। उनकी नेताओं ने प्रधानमंत्री को याचिका देनी चाही। प्रधानमंत्री वहां मौजूद ही नहीं थे। तो, उन्होंने उनके सचिव को याचिका सौंपी, आधे घंटे सड़क पर मौन खड़ी रहीं और फिर अपने अधिकारों को पुख्ता करने वाले नगमे गुनगुनाए। यूं इस प्रदर्शन से पहले और उसके बाद भी प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन में पुलिस ने बर्बर गोलीबारी की। करीब 30 साल बाद इस कानून को 1986 में रद्द किया गया।

बराबरी पाने के लिए औरतों ने काम बंद रखा

अमेरिका में वोटिंग का अधिकार हासिल होने के 50 साल बाद, 26 अगस्त 1970 को औरतें एक बार फिर जमा हुईं। न्यूयॉर्क के फिफथ एवेन्यू में लगभग 50 हजार औरतों ने समानता के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। इसे नाम दिया गया था- विमेन्स स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी। दरअसल पुरुषों और महिलाओं के बीच गैर-बराबरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। औरतें नाराज थीं कि उन्हें घरेलू कामकाज में इतना समय देना पड़ता है कि उन्हें और किसी काम के लिए फुरसत ही नहीं मिलती। नारी शक्ति को दिखाने के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन ने यह प्रदर्शन किया था। इरादा यह जताना था कि देश की हर

व्यवस्था, उद्योग, यूनियंस, सभी पेशे, सेना, यूनिवर्सिटी, सरकार, सब पुरुष प्रधान हैं। औरतों ने उस दिन काम बंद कर दिया। सफाई और खाना पकाना बंद कर दिया। वे स्ट्रोकन लेकर सड़कों पर खड़ी रहीं- 'डॉट आयरन वाइल द स्ट्राइक इन हॉट' और 'डॉट कुक डिनर- स्टार्व ए रेट टुडे।' इसके दो साल बाद फेडरल कानून टाइटल नाइन्थ पास हुआ, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में लिंग के आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रमों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तर्ज पर 1975 में आइसलैंड में औरतों ने समानता की मांग करते हुए देश भर में हड़ताल की। इसी ने देश में महिला नेतृत्व के लिए जमीन तैयार की। विगिदस फिनबोगदातेर विश्व की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनीं।

शांति के लिए गुहार लगाती औरतें

औरतों ने शांति कायम करने के लिए भी कई बार बड़े-बड़े प्रदर्शन किए। 1976 में आयरलैंड में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं उतरीं। इन प्रदर्शनों के फलस्वरूप देश में शांति कायम करने में मदद मिली। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं मेरीड कोरिगन और बेट्टी विलियम्स को इसी साल नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसी तरह 2003 में लाइबेरिया में लाइबेरिया मास एक्शन फॉर पीस की महिलाओं ने हर हफ्ते रैलियों और धरनों का आयोजन किया। ये औरतें हर धार्मिक मत और जातियों वाली थीं। लाइबेरिया के गृह युद्ध को समाप्त करने में उनका बड़ा योगदान था।

यौन शोषण के खिलाफ महिला प्रदर्शन

जनवरी 2017 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 30 से 50 लाख औरतों ने प्रदर्शन किए। मुद्दा था- ट्रंप के महिला विरोधी बयान। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद दुनिया के बहुत से देशों में लगभग 261 छोटे-बड़े प्रदर्शन हुए। महिलाओं के यौन शोषण के विरोध में 85 देशों में हैशटैग मीटू अभियान के पक्ष में प्रदर्शन किए गए। यह 2017 से अब तक हर साल किया जाता है।

बेशक, शाहीनबाग की औरतों के लिए रास्ता लंबा है। अंत का पता नहीं है। पर जैसा कि मशहूर अमेरिकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंजेल वाई डेविस ने कहा है- कई बार हमें कोई काम करना पड़ता है, भले ही हमें क्षितिज पर कोई चमक दिखाई न दे कि यह सचमुच में संभव होने वाला है या नहीं। जो संभव नहीं, उसी असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहा है शाहीनबाग। हम उसे सिर्फ आमीन कह सकते हैं। —द किंवंत हिन्दी

सर्वादय जगत

निशाने पर मोदी सरकार किस बड़े गेम का हिस्सा था देविंदर

कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी ने देश भर में सनसनी पैदा कर दी है। खबर है कि अपनी सरकारी गाड़ी में वह दो खूंखार आतंकियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। इस घटना के बाद से सरकार का इकबाल और सरकार में लोगों का विश्वास दोनों ही संकट में है। इस संदिग्ध अफसर की गिरफ्तारी ने 2001 में संसद पर हुए हमले से लेकर 2019 में पुलवामा में हुई 40 जवानों की बर्बर हत्या तक अनेक सवाल जन-विमर्श के केन्द्र में ला खड़े किये हैं। गिरफ्तारी के समय डीएसपी ने अपने डीआईजी से कहा था कि यह गेम है, आप गेम मत बिगाड़िये। संदिग्ध के मुंह से निकला यह एक वाक्य किसी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट की ओर इशारा करता है। कयास लगाये जा रहे हैं कि देविंदर सिंह तो केवल एक मोहरा भर है, इस गेम के बड़े खिलाड़ियों के चेहरे से नकाब नोचने की जरूरत है। जो बातें अभी जन-मन में दबी जुबान से खदबदा रही हैं, बहुत संभव है कि सटीक जांच हो जाये तो देश के सामने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठ जाये। इस पूरे मामले की विवेचना कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह। भाषा सिंह द वायर और आउटलुक से जुड़ी हैं। सोशल मीडिया पर वे newclick.in के माध्यम भी से जुड़ी हैं। —सं.



कश्मीर के डीपी सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) देविंदर सिंह की हिज्बुल कमांडर सैय्यद नवीद, आसिफ राथेर और इमरान के साथ

हुई गिरफ्तारी में, भारत के deep state जिसे हिंदी में सत्ता का आपराधिक चरित्र या हिस्सा कहा जा सकता है, को बेनकाब करने के सारे सूत्र हैं। गिरफ्तारी के समय देविंदर सिंह का अपने डीआईजी से यह कहना कि 'सर ये गेम है. आप गेम खराब मत करो—ही अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि वह सत्ता में बैठे अत्यंत शक्तिशाली लोगों के इशारे पर ही वह बड़ा खेल खेल रहा था। ये भी सवाल है कि अभी पता नहीं कितने देविंदर इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये तो तय है कि देविंदर अकेला नहीं है। ये किसी गफलत में या टकराहट में पकड़ आ गया और अब इसके जरिए दूसरे देविंदरों तक पहुंचने की, उन्हें बेनकाब करने की कवायद होनी चाहिए। वरना आतंकवाद के खात्मे के नाम पर कितने बड़े-बड़े खेल यूं ही चलते रहेंगे। कभी चुनावी फायदे के लिए तो कभी देश की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए।

इसके साथ ही, देविंदर का यह कहना, सारे खेल पर पानी डाल देता है कि मैं एक ऑपरेशन पर था, अगर वह सफल हो जाता तो प्रदेश पुलिस की बड़ी वाहवाही होती—यह सब उसने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा, उससे ये तो साफ ही है कि उसका जो भी मिशन था, उसके तार बहुत ऊंचे ओहदों से जुड़े थे। इन

आतंकवादियों को लेकर वह कुछ बड़ा हंगामा करने के फिराक में था। अब यह तो कयास ही लगाया जा सकता है कि क्या ये कुछ बड़ा दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पहले करने की योजना थी? क्या इसका ताल्लुक पुलवामा जैसा कुछ करने से हो सकता था, क्योंकि पुलवामा में आतंकी हमले के समय भी देविंदर वहीं पोस्टेड था। इस समय सबसे बड़े सवाल जो मोदी सरकार से पूछे जाने चाहिए, वे ये है कि इस खेल में कौन-कौन शामिल हैं, किसके वरदहस्त से डीएसपी तीन आतंकियों को दिल्ली ला रहा था और उनसे क्या करवाने वाला था? हालांकि अभी जो हालात हैं, और जिस धीमी गति से जांच चल रही है, उससे यह आशंका बलवती हो रही है कि इन सारे अहम सवालों से पर्दा उठना मुश्किल ही लगता है।

लेकिन इस गिरफ्तारी ने दो-तीन चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया है। पहला यह कि देविंदर सिंह के अब तक के सारे कारनामे सत्ता और सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय नापाक गठजोड़ की मौजूदगी का पता देते हैं। इसी के तहत देविंदर सिंह के संसद पर हमले से लेकर पुलवामा हमले तक में भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। कैसे यह अधिकारी एंटी हाइजैकिंग स्क्वाड तक पहुंच जाता है? श्रीनगर एयरपोर्ट पर उस समय तैनात किया जाता है, जब पूरे राज्य में अभूतपूर्व तनाव होता है। देविंदर सिंह श्रीनगर के सबसे पॉश इलाके इंदिरा नगर में सेना मुख्यालय के बिल्कुल बगल में अपनी कोठी बनवा रहा था—क्या ये सारी कड़ियां जुड़ती नहीं हैं? जम्मू-कश्मीर पुलिस में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी का सीधे आतंकियों के साथ मिला होना, निश्चित तौर

पर देश की सुरक्षा पर तो सवाल उठता ही है, साथ ही सुरक्षा तंत्र किस तरह से आतंकियों के साथ मिलकर बड़ा गेम प्लान करता है, इस ओर भी इशारा करता है। साथ ही यह सवाल भी उठ ही रहा है कि 2017 से आर्मी कॉर्प्स-15 के बेस कैंप के पास, श्रीनगर के इंदिरा नगर में देविंदर जो अपना आलीशान घर बनवा रहा था, क्या वह भी उसके किसी खतरनाक मंसूबे का हिस्सा था? इसकी दीवार सेना कैंप की दीवार से जुड़ी हुई है। कैसे और क्यों उसे यहां घर बनाने की मंजूरी मिली?


हर एक कड़ी और इस तरह की अनेकों कड़ियों पर जांच होनी चाहिए। यह पूरे मॉडस ऑपरेंडी को खोल कर ही पता चलेगा कि कहां-कहां से तार जुड़े हैं इसके आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले अधिकारी के पीठ पीछे कैसे वह आतंकवादियों से डील कर रहा था।

दूसरी बात, जिस तरह से देविंदर सिंह पर तमाम सवाल उठने के बावजूद, देश के सुरक्षा तंत्र ने उसे नजरंदाज किया, उससे भी साफ है कि देविंदर को किसी खास मकसद से तमाम अहम जगहों पर रखा गया और उसके जरिये मनमाफिक कामों को अंजाम दिया गया। तीसरा बहुत दिलचस्प पहलू है, जो एक थ्रिलर फिल्म जैसा है कि आखिर ऐसा अधिकारी, जिसकी सीधी पहुंच ऊपर तक हो, उसकी गिरफ्तारी हुई कैसे? क्या जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा तंत्र में वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी यह गिरफ्तारी? या ऐसा ही कुछ दिल्ली में नेशनल सिक््योरिटी एजेंसी एनआईए और गृह मंत्रालय में भी हो रहा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल तथा गृह मंत्रालय सहित सत्ता के अन्य शीर्ष केंद्रों में टकराहट के

नतीजे के तौर पर यह गिरफ्तारी सामने आई है? कम से कम जो लोग लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं, उनका तो स्पष्ट मानना है कि इतने हाई-प्रोफाइल पुलिस अधिकारी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रकरण में अजीत डोवाल और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठने लाजिम है। सीधे-सीधे देश की सुरक्षा के साथ चूक हुई है, जो सवाल पूछे जाने चाहिए, जिनकी समयबद्ध ढंग से जांच होनी चाहिए, वे ये कि आखिर देविंदर इन आतंकवादियों के साथ क्या बड़ा करने के फिराक में था?

इन पहलुओं के मद्देनजर कुछ गंभीर सवाल उठे हैं। राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। खासतौर से इस मामले को जिस तरह से एनआईए को दिया गया, उसे लेकर भी वाजिब चिंता जताई गई। यहां इस बात को याद रखना जरूरी है कि देविंदर की गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की थी और उन्होंने साफ कहा था कि इस डीएसपी पर उन्हें लंबे समय से संदेह था और उस पर निगाह रखी जा रही थी। जब उसने इन आतंकियों को अपने घर पर रखा, तब से ही वह उसे ट्रैक कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद, जिस घर में देविंदर रहता था, वहां छापा मारकर हथियार बरामद किये और अपना आधार पुख्ता किया। उस समय भी कश्मीर का पुलिस महकमा बहुत कड़े शब्दों में देविंदर के खिलाफ बोल रहा था। दबे स्वर में पुलिस अधिकारी उसकी काली व संदिग्ध करतूतों की चर्चा कर रहे थे। पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसकी भूमिका के बारे में सवाल उठना शुरू हुआ था। हालांकि 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के आरोपी अफजल गुरु द्वारा देविंदर पर लगाए गए आरोप पर कश्मीर पुलिस ने साफ कह दिया है कि उसके पास इस मुतल्लिक कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि अफजल गुरु ने बकायदा पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि देविंदर के ही कहने पर उसने हमला करने वालों के लिए रहने की जगह और कार का इंतजाम किया था। अफजल का आरोप था कि देविंदर ने उसका इस्तेमाल किया था और वह खुद बेकसूर है। इसे लेकर उस समय लंबी

बहस भी चली थी और प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने अपने एक चर्चित लेख में संसद पर हमले के पीछे के सच को सामने लाने का साहसिक काम किया था। अफजल गुरु को किस तरह से मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया, इसकी कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश की गई। वर्ष 2006 में पत्रकार परवेज बुखारी ने देविंदर सिंह का एक बेहद अहम इंटरव्यू लिया था, जो उस समय कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि यह देविंदर की भूमिका पर सवाल उठाता था। बाद में यह इंटरव्यू एक किताब के रूप में सामने आया, जिसकी भूमिका अरुंधति राय ने लिखी। किताब का नाम है—The Hanging of Afzal Guru and the Strange Case of the Attack on the Indian Parliament. इसे पढ़ा जाना चाहिए।



इससे अंदाजा होता है कि एक पुलिस अधिकारी किस तरह से लोगों को गलत ढंग से फंसाने और उन्हें अमानवीय यातनाएं देने का काम खुलेआम करता है। इस इंटरव्यू में देविंदर ने बताया कि किस तरह से उसने अफजल गुरु को यातना दी और कैसे पूरा प्रशासन इसमें सहभागी था। हालांकि वह संसद हमले में अपनी भूमिका और अफजल को वहां प्लांट करने की बात से इनकार करता है, लेकिन एक बात तो साबित होती है कि किस तरह से सिस्टम और सुरक्षा तंत्र लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब देविंदर की गिरफ्तारी के बाद ये सारे मामले दोबारा सही ढंग से देखने बहुत जरूरी हो गये हैं। वैसे इसकी ध्वनि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी सुनाई दी थी कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को तभी संतुष्टि मिलेगी,

जब दोषी को फांसी की सजा दी जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि अफजल की फांसी के बाद से देविंदर की संदिग्ध भूमिका पर जो सवाल उठने बंद हो गये थे, अब वे दोबारा उठने शुरू हो गये हैं। सिने कलाकार सोनी राजदान ने एक बार फिर यह दोहराया कि अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देविंदर की आतंकियों से सांठगांठ और गिरफ्तारी की जांच एनआईए से कराने पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी डीएसपी देविंदर को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है, मामले की जांच को एनआईए को सौंप देना। इसके मुखिया एक और मोदी है—वाइके मोदी, जिन्होंने गुजरात दंगे और हरेन पांड्या की हत्या की जांच की थी। वाई के मोदी की वजह से ही ये केस शांत हो चुके हैं। आखिर कौन चाहता है आतंकी देविंदर को शांत करना, और क्यों?

इसी तरह से देविंदर की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पर निशाना साधा कि 'एक पुलिस अफसर, जिसने कुछ दिनों पहले ही विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर का दौरा करवाया और जब पुलवामा में जवानों पर कार से हमला किया गया, तब भी वह वहां पर मौजूद था, आखिर कैसे उसके होते हुए भी आतंकियों की कार जटिल सुरक्षा को पार करके जवानों पर हमला कर देती है।


सवाल उठता है कि क्या अपने इतने लंबे कैरियर में देविंदर सिंह ने और भी आतंकी प्लांट किये? सीधे-सीधे यह मांग तो उठनी ही चाहिए की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच उन तमाम मामलों की होनी चाहिए, जिसमें देविंदर शामिल था। और उसके कनेक्शनों को बेनकाब करने की जरूरत है, जो उसे इतनी खुली छूट और दुस्साहस दे रहे थे कि वह खुलेआम तीन आतंकियों को लेकर देश की राजधानी की ओर कूच कर चुका था। निश्चित तौर पर ये सारे सवाल मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजील डोवाल को निशाने पर लेते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं।

-भाषा सिंह □

12 फरवरी शुभ-संकल्प का पुण्य-पर्व

□ विनोबा

गांधीजी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर 12-2-1950 को पवनार (वर्धा) के सर्वोदय मेले में विनोबाजी का प्रवचन -सं.)



इतने कड़ाके के जाड़े में आप सब यहां प्रेम से जमा हुए हैं। किसलिए जमा हुए हैं? हम सबका प्रेमल पिता दो साल पहले भगवान के घर चला गया। उसके

स्मरण के लिए आप हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं।

गांधीजी हमारे 'बापू' थे

गांधीजी को सारी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से पहचानती है, लेकिन हम सबके लिए वे बापू ही थे। हम उनको बापू के नाम से पहचानते थे। महात्मा तो वे थे ही, लेकिन उनका सारा महात्मापन, सारा साधुत्व, सारा ज्ञान, सारी तड़पन, उनकी वह अपार निष्ठा और भक्ति हम लोगों की सेवा के लिए थी। कुछ लोग उनसे कहने लगे, "आपने अब तक बहुत सेवा कर ली है, आपकी बातें अब लोगों को भाती नहीं है, इसलिए आप हिमालय में जाइये।" उन्होंने जवाब दिया, "भाइयों, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। आप सब लोग अगर हिमालय में जायेंगे, तो आपकी सेवा के लिए मैं भी आपके पीछे-पीछे आता हूँ, लेकिन जब तक आप यहीं रहते हैं, तब तक मेरा हिमालय यही है।"

सेवक की इच्छा

बहुत पुरानी कहानी है। भक्त-शिरोमणि प्रह्लाद का नाम भागवत में आप सबने सुना होगा। उसके सामने नरसिंहावतार प्रकट हुआ, प्रह्लाद उस नरसिंह की स्तुति करता है और उससे वरदान मांगता है। क्या कहता है वह प्रह्लाद? वह कहता है, "नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एकः"—"इन सब दीन-दुर्बलों को छोड़कर मैं अकेला मोक्ष को नहीं जाना चाहता। इन लोगों की सेवा ही मैं चाहता हूँ।" यही वरदान गांधीजी ने भगवान से निरंतर मांगा, और उग्र भर जनता की सेवा करने में चंदन के सर्वोदय जगत

समान अपना शरीर घिसाया। वे कहते थे कि "जनता की सेवा के लिए अगर मेरे शरीर का उपयोग होता होगा तो इस देह की पूरी उम्र, यानी सौ-सवा सौ साल जीने के लिए मैं तैयार हूँ, वैसी मेरी इच्छा है।" लेकिन उनके बालकों में से ही एक ने उनका अंत किया और उनके थके हुए शरीर को विश्राम मिला।

ईश्वरीय प्रेरणा

उस स्मृति के बाद आज तक इन दो वर्षों में कितने ही स्मरण हिन्दुस्तान में हो गये। कई घटनाएं हुईं। इतनी सारी घटनाओं के घटने पर भी हम सबको उनकी याद आती है और उसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। जब गांधीजी गये, तब मैं मन में सोचने लगा कि इस मनुष्य ने हमारे और सारे मानव समाज के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, तो उस तपस्या का लाभ अब उनके देह-पतन के बाद हम किस प्रकार लें? कुछ लोग कहते थे, "गांधीजी का स्मारक कैसा होना चाहिए? उसकी क्या योजना हो?" मुझे यह स्मारक नहीं सूझता था। मैं कहता था, "मैं उनका उपयोग किस तरह कर सकता हूँ? मेरा और हमारे लोगों का जीवन शुद्ध और समृद्ध होने के लिए उनकी स्मृति का कैसे उपयोग होगा?" यह विचार मैं करने लगा। एक दिन मुझे कल्पना सूझी। मैं विचार करता था, इस लिए वह सूझी, ऐसा नहीं। वह तो अचानक सूझी। वह कल्पना यह कि गांधी बाबा का मेला लगाया जाय, जिससे देहाती लोग जगह-जगह प्रेम से इकट्ठा होंगे, उनकी दी हुई शिक्षा का उच्चार करेंगे, विचार करेंगे और आचार करने लग जायेंगे। इसको ईश्वरीय कल्पना ही कहना चाहिए, क्योंकि सबने उसको उठा लिया। अगर वह प्रेरणा केवल मेरे एक तुच्छ जीव की होती तो सारे लोग उसे नहीं उठाते, लेकिन सबको वह जंच गयी और यहां जैसे हम गांधीजी के स्मरण के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे हिन्दुस्तान भर में सौ-डेढ़ सौ जगह इसी प्रकार लोग जमा हुए हैं और अपना जीवन पवित्र करने का संकल्प कर रहे हैं।

मेले की विधि क्या हो

मेला लगाना तय होते ही उस मेले में क्या किया जाय, यह सवाल उठता है। मेरी यह एक बड़ी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि जब मैं निमित्त बना हूँ तो उसका उपयोग शुद्ध ही हो, इस बात की सावधानी भी मैं रखूँ। नहीं तो आज तक कड़ियों के मेले होते आये हैं। उसमें एक जत्रा का स्वरूप आ जाता है, जिसमें विनोद, आनंद, मोद-प्रमोद आदि चलता है। वही हाल इसका न हो, इसका उपयोग देश की उन्नति के लिए हो, यह सावधानी रखना अपना काम है। इसलिए इस मेले की विधि क्या हो? यहां आकर क्या किया जाय? यह हम सब लोगों को तय करना चाहिए।

एक-एक गुंडी ही क्यों

एक-एक बात धीरे-धीरे सूझती गयी। इस साल एक कल्पना सूझी। उसका प्रारंभ पिछले साल ही हुआ था। हर एक अपने हाथ की कती सूत की एक गुंडी गांधीजी के स्मरण के तौर पर समर्पण करे। कुछ गुंडियां वहां (पवनार में गांधीजी के अस्थि-विसर्जन-स्थान पर, स्तूप के पास, एक कुंड-सा बनाया गया, जहां ये गुंडियां अर्पित की जा रही थी-सं.) पड़ी हुईं मैं देख रहा हूँ। कोई शौक से कहते हैं, "हम पचास गुंडियां देंगे।" कोई कहते हैं, "हम पचीस गुंडियां देंगे।" मैंने कहा, "ऐसा नहीं चलेगा। हर एक की एक ही गुंडी मुझे चाहिए, क्योंकि यह एक स्मरण है, यह एक भेंट है।" यहां कोई बड़ी भारी निधि इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है। इच्छा यह है कि हर एक स्वावलंबन सीखे। अपने हाथ के सूत का कपड़ा हर एक अपने शरीर पर पहने। उसके लिए हर एक अपने पास चरखा रखे। अपना देश अब स्वतंत्र हुआ है, तो उस स्वतंत्रता की निशानी खादी के रूप में अपने शरीर पर प्रकट करे।

चरखे का नया रूप

गांधीजी की यह बड़ी इच्छा थी। वे हमेशा कहते थे कि मेरे पीछे आप लोग मेरी सारी बातें शायद भूल जायेंगे, लेकिन एक बात

कोई भी नहीं भूलेगा कि गांधी ने देश को चरखा दिया। चरखा नया नहीं निकला था, वह पुराना ही था। लेकिन पुराने जमाने का चरखा लाचारी का था। उस समय चरखे के सिवाय कोई चारा नहीं था। आज इस चरखे के खिलाफ मिलें खड़ी हैं और सारे किसानों का शोषण करने का काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। उन मिलों के होते हुए चरखा चलाना है इसलिए यह नया चरखा है। वह दीखने में यद्यपि पुराना दीखता है, फिर भी उसका रूप नवीन है। गांधीजी की सबसे बड़ी सीख यही थी कि हम सब लोग सूत कातकर अपना स्वराज्य अपने शरीर पर प्रकट करें। इसलिए आप लोग सूत भरपूर कातिये। अपने और अपने कुटुंब के उपयोग के लिए ही कातिये। यहां सिर्फ एक गुंडी प्रेम की निशानी के तौर पर, सूत कातने की दीक्षा के तौर पर, गांधीजी ने जो शिक्षा दी उसकी स्वीकृति के तौर पर अर्पण करें, इतनी ही कल्पना है।

यहां की गुंडियों का विनियोग

जो गुंडियां यहां जमा होंगी, उनका अत्युत्तम उपयोग हम करेंगे। मैं सोचता था कि इन गुंडियों का विनियोग कैसे किया जाय? मुझे अनायास सूझा कि आपके इस मराठी प्रांत में आकर गांधीजी पंद्रह साल रहे। उन्होंने यहां पर एक आश्रम भी चलाया। तो ये गुंडियां उस आश्रम को ही समर्पित की जायं। वहां पर अपने देश के गरीब लोगों के जीवन-शिक्षण की व्यवस्था हो और उस काम में ही इन गुंडियों का विनियोग हो, यह कल्पना मुझे सूझी।

नया संकल्प करने का दिन

यह मेला हर साल लगने वाला है। तो इस विधि के अलावा हर साल के लिए कुछ संकल्प हर एक अपने मन में करे, जो अगले मेले तक पूरा किया जाय। यह संकल्प गांव वाले मिलकर करें, उस पर साल भर अमल करें और उसको पूरा करके भगवान के चरणों में समर्पण करने के लिए इस जगह अगले साल इकट्ठा हो जायं। इस तरह संकल्प करने का यह दिन है, ऐसा सब मिलकर तय करें।

धानोली गांव की मिसाल

मैं एक मिसाल देता हूं। यहां से चार मील की दूरी पर धानोली नामक एक गांव है। उस गांव के लोगों से हमारे कार्यकर्ताओं का दो-चार साल से संबंध रहा है। मैं गांव वालों को

समझाता था कि आप अपने गांव में पाखाने खड़े कीजिये, मनुष्य के मैले का खाद बनाइये, उससे गांव में सफाई भी रहेगी। आप लोगों को भंगी का काम करने में दिलचस्पी पैदा होगी तो अस्पृश्यता समूल नष्ट हो जायेगी। देश का धन बढ़ेगा। आज अधिक उत्पादन की देश को आवश्यकता है, तो आप यह संकल्प कीजिये। गांव वालों ने उसके अनुसार निश्चय किया कि गांव के लिए सात-आठ पाखाने खड़े करेंगे, सब लोग उनका ही उपयोग करेंगे, बाहर कोई भी शौच करने नहीं जायेगा, मैले पर मिट्टी डालकर उसका खाद बनायेंगे, इस तरह का संकल्प सब गांव वालों ने मिलकर किया और मुझे कहने में खुशी है कि वह संकल्प 50-60 फीसदी सफल हुआ। दरअसल वह सौ फीसदी सफल होना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से पाखाने अधूरे रह गये हैं। फिर भी सारे पाखाने बांधने का काम चल रहा है।

आत्मा की शक्ति

इस तरह कुछ न कुछ शुभ संकल्प अगर गांव वाले करेंगे और उसको पूरा करके अगले साल इस जगह आते जायेंगे तो इस मेले का बहुत बड़ा उपयोग होगा। इससे देश में संकल्प का बल बढ़ेगा। मनुष्य की मुख्य शक्ति देह की

नहीं, बल्कि आत्मा की है और आत्मा सत्यकाम, संकल्प है। जो शुभ संकल्प हम करेंगे, वह सफल होना ही चाहिए। यह शक्ति आत्मा में, यानी हम में भरी है, लेकिन वह प्रकट नहीं होती है, इसलिए हम दुर्बल बन गये हैं। वह शक्ति क्यों प्रकट नहीं होती है? इसलिए नहीं होती कि हम संकल्प करते ही नहीं हैं। हम शुभ संकल्प करें, भगवान की मदद मांगें और सब मिलकर उस संकल्प को पूरा करें, शुरू में छोटे-छोटे संकल्प किये जायं। उससे शक्ति बढ़ती जाती है।

गांधीजी ने अपने जीवन में इस तरह से कई संकल्प किये, हिन्दुस्तान की जनता से भी कराये और वे पूरे किये। उसके कारण हिन्दुस्तान ऊपर उठा। गांधीजी का स्मरण करके हम भी उसी प्रकार संकल्प करते जायेंगे तो इस मेले में से शक्ति निर्माण होगी। यह एक कल्पना आज आपके सामने मैंने रखी।

भक्ति-पूर्वक प्रणाम

मेरे मित्रों, इस समय शरीर से मैं कुछ दुबला हूं, इसलिए अधिक बोलने की मेरी वृत्ति नहीं है, लेकिन आपको देखकर मेरा हृदय भर आता है। मैं अत्यन्त प्रेम से और नम्रता से आपको परमेश्वर-स्वरूप समझकर प्रणाम करता हूं। □

श्रद्धांजलि

दस्यु समर्पण अभियान के सेनानी कृष्णचंद्र सहाय नहीं रहे

उनकी उम्र का हमें पता नहीं, क्योंकि उस जमाने में उम्र प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं थी। अंदाजन उनकी उम्र 90 पार कर चुकी थी। जीवन में ऐसा अवसर भी आया, जब भिक्षा मांग कर पेट भरना पड़ा। संयोगवश राममनोहर लोहिया से भी भीख मांग लिया। डॉ. लोहिया ने बच्चे की योग्यता को पहचान लिया और साथ ले गये। साथ में पढ़ना-लिखना भी हो गया। राजनैतिक-सामाजिक ज्ञान भी बढ़ा, उम्र भी बढ़ी। विनोबा और जे.पी. को भी समझने लगे। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली से जुड़ गये और आगरा को कर्मभूमि बनाया। अपने स्वभाव से लोकप्रिय हो चले। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, हर काम का समान महत्व था। रेलवे का टिकट लेना हो तो सहाय जी, सभा करनी करनी हो तो सहाय जी,

आगरा में भू-दान, ग्रामदान कार्यक्रम करना हो तो सहाय जी।

आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में चम्बल के बागियों के आत्मसमर्पण का अहिंसक क्रान्ति का यादगार कार्यक्रम चला। उसके तीन केन्द्र थे - आगरा, ग्वालियर और जौरा आश्रम। एस.एन. सुब्बाराव, सहाय जी और पी. वी. राजगोपाल इस आन्दोलन के मूल में थे। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, रखा तो बस जीवन में संघर्ष और कष्ट। वे लम्बे समय तक अस्वस्थ रहे लेकिन कर्म नहीं छोड़ा। प्रकृति (ईश्वर) से प्राप्त अपना पार्थिव शरीर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज को दान करने की उनकी भावना थी, उसकी पूर्ति की गयी। हम सब उन्हें अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

-डॉ. अवध प्रसाद

बा गहन वेदना के अंतिम दिन

□ गिरिराज किशोर

पहला गिरमिटिया जैसा चर्चित उपन्यास प्रस्तुत कर चुके गिरिराज किशोर ने अब बा पर कलम उठायी है। बा पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन था। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियां नहीं के बराबर हैं। 'पहला गिरमिटिया' की सामग्री जुटाने में उन्हें कोई दो हजार पुस्तकों से मदद मिली थी। और 'बा' उपन्यास लिखते समय मुश्किल से दो पुस्तकें सामने थीं। वे उन सब लोगों से मिले, जिन्हें कस्तूरबा के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी थी और उन सब जगहों पर गये, जहां बा ने थोड़ा या बहुत समय बिताया था। इस तरह बनी यह कथा, यह इतिहास बा के अलावा खुद बापू के दो और रूपों को भी सामने रखता है—पति और पिता का रूप। प्रस्तुत है 'बा' का अगला अंश, जो बा-बापू : 150 के अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हो रहा है।

रामदास और देवदास दोनों भाई आते रहते थे। उन दोनों को देखकर आंखों में चमक आ जाती थी। पर एक कसक मन ही मन उभरती थी, उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। तुलसी के बिरवे के सामने ध्यान में बैठ जाती थी। कई बार कसक की अभिव्यक्ति आंसुओं के माध्यम से होती थी। विडंबना यह थी कि देखने वाले समझते थे, बा भक्ति के कारण भाव विह्वल हैं। एक दिन बा ने बापू से अपनी पीड़ा कही, 'तुमने तो हरि को दिल से निकाल दिया, मैं मां हूँ, मैं नहीं निकाल पायी। मैं अपने बड़े बेटे हरिलाल को मरने से पहले हृदय से लगाना चाहती हूँ। पता नहीं कहां है मेरा बेटा, किस हाल में है?'

बापू ने चुपचाप सुना फिर समझाते हुए बोले, 'मैं कहता नहीं पर समझता हूँ, तूने यह कैसे कह दिया मैंने हरि को दिल से निकाल दिया? कोई भी, कैसा भी बच्चा हो, कभी मां-बाप के दिल से निकल सकता है? मां हो या बाप, उनके दिल में बच्चा दुःख-सा भी बसता है, सुख-सा भी बसता है। मैं अपनी कमियां भी जानता हूँ, उसकी और तुम्हारी पीड़ा भी। लेकिन कभी दोनों के बीच साम्य नहीं बैठा पाया...सब दुःख-दर्द अपनी-अपनी जगह यथावत बने रहते हैं।'

बापू ने सरकार को तुरंत ही पत्र लिखा कि 'मेरी पत्नी अस्वस्थ है। उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट नियमित रूप से मिलती रहती होगी। मेरा बड़ा बेटा हरिलाल बहुत दिन

से नहीं मिला, पता नहीं कहां है। अगर पुलिस उसको ढूंढ सके, तो मैं आभारी हूंगा।'

पुलिस ने उसे पूना से खोज निकाला। शायद पुलिस उस जमाने में अधिक संवेदनशील रही हो। जब उसे पता चला कि बा बीमार है तो वह पुलिस को बिना बताये निकल लिया। आगा खां पैलेस पहुंचा तो पिये हुए था। उसे मुख्य द्वार से भगा दिया गया। कहां गया, रात में कहां रहा, खाया या भूखा रहा, किसी को पता नहीं था। अगले दिन सवेरे फिर द्वार पर प्रकट हो गया। उस समय वह होश में था। दुबला, पतला और कमजोर। कल का असर अभी बाकी था। हरिलाल को बा के पास ले जाया गया। वह खांस रहा था। तपेदिक के लक्षण दिखायी पड़ रहे थे।

बा देखती रह गयी। यही है मेरा हरिलाल? कौन जवाब देने वाला था। हरिलाल ने पूछा, 'बा तुम कैसी हो?'

बा मुश्किल से कह पायी, 'तू मेरी छोड़, अपनी बता। कितने दिन से नहीं खाया?'

बा ने हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। आंखें लगातार बह रही थीं। बा किसी तरह उठकर स्वयं रसोई तक गयी। लौटी तो हरिलाल भेंट इकतरफा खत्म करके जा चुका था। कुछ देर वे उसी स्थिति में खड़ी रही फिर धीरे-धीरे बापू के पास जाकर कहा, 'हरि आया भी, चला भी गया। गले भी नहीं लगा पायी। न पेट में रोटी थी, न तन पर कपड़ा...।' हिचकी के साथ बात समाप्त हो गयी। बापू की आंख



से एक बूंद टपकी।

उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, 'हो सकता है कल आये। बा के हाथ से बिना खाये थोड़े ही चला जायेगा।' बापू ने हंसकर कहा।

'मेरे पास अधिक समय नहीं है, उसके पास भी शायद उतना न हो। पता नहीं खांसी कैसी थी!'

बाद में पता चला कि हरिलाल को एक ही बार बा से मिलने की अनुमति मिली थी। बापू ने कर्नल भंडारी को लिखा कि हरिलाल को भी रामदास और देवदास की तरह ही मिलते रहने की अनुमति दे दी जाये। अनुमति मिलने के बाद भी हरिलाल बा से मिलने नहीं आया। बा को निराशा में भी आशा बनी रही।

दक्षिण अफ्रीका से बापू के पुराने दोस्त पारसी रुस्तमजी के पुत्र जाल भाई का केबिल आया, 'बा की बीमारी का अभी पता चला, मणिलाल भाई और सुशीला बेन की भारत यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है, जिससे वे दोनों बा के पास मौजूद रहें।'

बापू का नितांत औपचारिक उत्तर गया, 'बा शनैः-शनैः जा रही है। मणिलाल और सुशीला अपना काम करते रहें—बापू, प्यार।'

पुलिस हरिलाल की तलाश में थी। 21 फरवरी को सोमवार था। दोपहर को पुलिस ने हरिलाल को खोज निकाला। गंदे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, रिसकर आती शराब की बदबू, सीधा खड़ा होना भी मुश्किल था। जिस हालत में था, उसी हालत में आगा खां पैलेस ले आया गया। हुक्मरान तात्कालिकता के बारे में जानते थे, बा

की हालत नाजुक थी। हालांकि वे चाहते तो नहला-धुलाकर घंटे दो घंटे बाद ले जा सकते थे। बा को उसके कारण पहुंचने वाली तकलीफ से बचा सकते थे। बा ने पहले कभी अपने बेटे को इस तरह पिये हुए नहीं देखा था कि उसकी संवेदना ही जड़ हो गयी हो। बा ने अपना सिर पीट लिया। हरिलाल को तुरंत कमरे से हटा दिया गया।

जनवरी 1944 में बा को लगातार दो बार दिल के दौर पड़े थे। उसके बाद से वे पूरी तरह बिस्तर से लग गयी थीं। दर्द से राहत नहीं मिल रही थी। अक्सर सांस उखड़ जाने पर रात को नींद टूट जाती थी। चूँकि एलोपैथिक इलाज से आराम नहीं मिल रहा था, तो बा ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए कहा। उसके लिए बापू को सरकार के साथ लंबा पत्राचार करना पड़ा। 5 फरवरी को आयुर्वेदिक डॉक्टर दिनशा मेहता को बुलाने की स्वीकृति मिली। जबानी निर्देश दिये गये कि जब डॉ. मेहता मरीज को देखने आयें, तो मरीज के पास दोनों डॉक्टरों के सिवाय तीसरा आदमी न रहे। बापू नहा रहे थे। यह आदेश सुनकर टब में लेटे-लेटे प्यारे लाल को बुलाकर सरकार को पत्र लिखवाया, 'मृत्यु शैया पर पड़ी मेरी पत्नी के बारे में इस तरह की शर्तें लगाना अशोभनीय है। उसको पाखाना या पेशाब की हाजत हो तो क्या वह इसलिए वहां नहीं जा सकेगी कि डॉ. दिनशा वहां मौजूद हैं? मुझे पूछना हो तो मैं किसी दूसरे से पुछवाऊं कि मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है?...इस तरह बार-बार मानसिक यंत्रणा देने से बेहतर है कि सरकार मुझे यहां से कहीं और भेज दे। फिर न मेरी पत्नी मुझसे कोई आशा रखेगी और न मुझे उसकी वेदना का मूक साक्षी होना पड़ेगा।' दोपहर बाद जवाब आया, 'हुक्म को समझने में भ्रम हुआ है। नर्स रह सकती है, आपको भी डॉक्टर से पूछना हो तो पूछ सकते हैं।'

19 फरवरी को बा आराम से सोई थी। नाक में ऑक्सीजन की नली लगी थी। 20 फरवरी की सुबह पांच बजे बेचैनी होने लगी। राम-राम रटती रही। सेलिब्रेन से भी पेशाब पर असर नहीं हुआ। सबके बीच निराशा का वातावरण बन गया। बेचैनी बढ़ते देख बापू

आकर बा की खाट पर बैठ गये। उनके कंधे का सहारा लेकर मन कुछ शांत हुआ। उसी तरह बैठे-बैठे बापू ने सुबह की प्रार्थना की। बारी-बारी से सब भजन गा रहे थे। श्रीराम भजो, दुःख में, सुख में...सुनकर कुछ देर के लिए बा अपनी वेदना भूल जाती थी। नौ बजे क्लोरल और ब्रोमाइड की एक-एक खुराक दी गयी। उसके एक घंटे बाद डेढ़ घंटा सोई। जब सोकर उठी तो तबीयत ठीक थी। अपना दैनंदिन काम स्वयं किया। चाय पी और आराम से लेट गयी।

दिन में फिर बेचैनी होने लगी। बस, हे राम हे राम...पुकार रही थी। आवाज में इस कदर दर्द था, जैसे कोई बलि दिया जाने वाला बकरा मिमियाता है। बापू दिन में भी काफी समय बा के पास बैठने लगे थे। उससे बा को राहत मिली थी। बापू ने वहां पर उपस्थित लोगों से कहा, 'अब बा का इलाज राम नाम है। सब इलाज छोड़ दो, केवल शहद पानी दो। बा स्वयं कुछ मांगे तो बात दूसरी है। मेरा दवाओं में विश्वास नहीं है। अपने लड़कों की बीमारी में भी दवा नहीं की...राम नाम के सिवाय मैंने इसके मुंह से कुछ नहीं सुना। यह दृश्य करुण है। ऐसे समय में दवा छुड़वा ही दूं।...उसे बचाना होगा तो बचा लेगा। नहीं तो मैं बा को शांति से जाने दूंगा।'

उस रात डॉ. दिनशा को रात में वहीं सोने की इजाजत मिल गयी थी। बा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। सुशीला के बा के पास न होने पर डॉ. गिल्डर बीच-बीच में आ आकर देख जाते थे। फिर भी बार-बार उनको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता था। डॉ. दिनशा से संकोच नहीं था। रात को नौ बजे नाड़ी की चाल बिगड़ती-सी लगी। गिल्डर को जगाना पड़ा। सवेरे सुशीला आयी तो देखा गिल्डर बा की खाट के पास कुर्सी जमाये बैठे हैं। उस समय नाड़ी ठीक थी। बा रेंडी का तेल मांग रही थी। डॉक्टर समझा रहा था कि रेंडी के तेल से कमजोरी बढ़ेगी।

'बढ़ने दीजिये, अब तो मसान ही जाना है।'
'आप ऐसा क्यों कहती हैं? अभी तो रामदास और देवदास आने वाले हैं, उन दोनों से मिलना है ना?'

उन दोनों का नाम सुनकर बा मुस्कराई। फिर गंभीर होकर कहा, 'उन्हें क्यों बुलाते हो,

आप सब भी तो मेरे बेटे ही हो ना? मर जाऊं तो जला देना। रामदास का किराया बहुत लगता है, गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है।'

दिन में दोपहर का खाना खाकर बापू बा के पास जा बैठे। बा सोने की तैयारी में थी। बा-बापू का सहारा लेकर सो जाती थी तो बापू तब तक नहीं उठते थे जब तक स्वयं जाग नहीं जाती थी। वे काफी थके थे। सुशीला उस समय वहीं थी। उसने बापू से कहा, 'बापू बा के पास मुझे बैठ जाने दें। थोड़ी देर सो लेने दिया होता तो क्या बिगड़ जाता।'

बा का वह लगभग अंतिम समय था। ऐसे समय उनसे कौन कह सकता था कि आप बा के पास कम बैठा कीजिये। भले ही उनको निमोनिया हो या कोई और गंभीर बीमारी हो। फिर भी गिल्डर ने साहस करके कहा, 'आप बा के मुंह के पास अपना मुंह न रखें।' बापू चुप रहे। गिल्डर भी समझ गये।

कुछ देर बाद बोले, 'डॉक्टर, बासठ साल बा के साथ रहने के बाद, अब इस जुदाई की घड़ी में, कैसे दूर रहा जा सकता है?' उनकी आंखें भर आयीं।

पेशाब और पाखाने के समय बा को जलन होती थी। बा ने बापू से कहा, 'मैं पानी का इलाज करना चाहती हूं।' दक्षिण अफ्रीका में मणिलाल की बीमारी में पानी के इलाज का चमत्कार देखा जा चुका था। बापू उसी दिन से उन्हें गर्म और ठंडे पानी का गुसल टब में देने लगे। उसमें लगभग एक घंटा लग जाता था। बा ने बापू से कहा, 'आप जाइये, सुशीला बाथ दे देगी। आपको देश का कितना काम है।'

बापू बोले, 'तू फिक्र मत किया कर।' उन्होंने अपना काम जारी रखा।

सुशीला बापू से बोली, 'आपके पास समय की कमी है। मैं तो बा की सेवा में रहती ही हूं। आप जब चाहें, मैं बा को बाथ दे सकती हूं। आपका एक घंटा बच जायेगा।'

'मैं जानता हूं, तू बा की हर सेवा के लिए तैयार है। लेकिन जीवन के उत्तर काल में बा की सेवा का जो अवसर मुझे मिला है, उसे मैं अमूल्य मानता हूं। जब तक बा मेरी सेवा लेगी, मैं प्रसन्नतापूर्वक एक घंटा निकालता रहूंगा।'

...क्रमशः : अगले अंक में

गतांक से आगे...

उन्हें मापने का हमारा पैमाना छोटा है

गांधीजी के बारे में प्रचलित भ्रांतियां और उनके निवारण

□ नारायण देसाई

जिसने सार्वजनिक जीवन में पांच-छह दशक बिताया हो, उसके बारे में कुछ-न-कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। जिसने दुनिया के सामने अपनी किताब खुली रखी हो, उसकी जीवन-पुस्तक के अलग-अलग भाष्य होना और गलत निष्कर्ष निकाला जाना भी संभव है। कुछ गलतफहमियां ऐसी होती हैं, जिन्हें सही मायने में गलतफहमी नहीं कहा जा सकता। मतभेद या विरोध, ईर्ष्या या द्वेष आदि के कारण जान-बूझ कर फैलाई गई बातों को गलतफहमी के बजाय अफवाह या दुष्प्रचार कहना ज्यादा सही होगा। गांधीजी के बारे में भ्रांतियां पैदा करने में खुद गांधीजी की कलम भी जिम्मेवार रही है। अपनी भूलों को गांधीजी राई का पर्वत बनाकर पेश करते थे और दूसरा कोई कहे, उससे पहले ही जोर-शोर से अपनी भूल कबूल करते थे। ऐसी स्वीकाराक्तियों के कारण भी गांधीजी के बारे में गलतफहमियां फैली हैं। उनसे कोई अपेक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति की अपेक्षा अगर पूरी नहीं हुई, तो उस निराश व्यक्ति की भड़ास भी गलतफहमियां फैलाने का सबब बन गई। यहां पेश है गांधीजी के बारे में फैली या फैलायी गयी कुछ भ्रांतियां और उनके जवाब।

-सं.

गांधीजी ने भगतसिंह की फांसी नहीं रुकवाई?

कहा जाता है कि गांधीजी चाहते तो भगतसिंह की फांसी रुकवा सकते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई, उससे कुछ समय पहले जो गांधी-इरविन समझौता हुआ था, उसी के आधार पर यह आक्षेप लगाया जाता है। सच तो यह है कि गांधी-इरविन समझौता सिर्फ सविनय कानून भंग की लड़ाई को लेकर हुआ था। पहले ही यह सहमति बन चुकी थी कि हिंसा, तोड़-फोड़ आदि के मामलों में जिनके खिलाफ आरोप साबित हुए हों और जिन्हें सजा सुनाई जा चुकी हो, उनके विषय में इस समझौता-वार्ता में चर्चा नहीं होगी। सविनय कानून भंग करके जेल में गए साठ हजार लोगों और अहिंसक आंदोलन के विषय में बातचीत करने के लिए ही गांधीजी और वाइसराय मिले थे।

इसके बावजूद इन तीनों को हुई फांसी की सजा के संबंध में गांधीजी ने वाइसराय के साथ कम-से-कम चार-पांच बार बातचीत की और पत्र लिखे। गांधीजी ने वाइसराय को यह समझाने की कोशिश की कि अगर इन्हें फांसी न हो तो देश में ऐसा वातावरण निर्मित होगा, जिसके चलते समझौते की अन्य शर्तों के पालन में भी अधिक अनुकूलता होगी। पर इस संबंध में लॉर्ड इरविन ने गांधीजी की एक न सुनी। उनकी भी कुछ लाचारी है, उन्होंने गांधीजी को यही भान कराया। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, दिल्ली छोड़ने के पहले भी गांधीजी ने कम-से-कम फांसी की सजा को बदलने का आग्रह करता हुआ पत्र वाइसराय को लिखा था। पर वह व्यर्थ गया। भगतसिंह को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाने के लिए उनके परिवार की तरफ से लिखी गई अर्जी का पहला मसौदा

देखकर गांधीजी ने कहा था कि उनके जैसे वीर पुरुष के लिए दी जाने वाली अर्जी ऐसी दीनता-भरी भाषा में न लिखी जाय, बल्कि ऐसी भाषा में लिखी जाय, जो उनकी वीरता को शोभा दे। फिर अर्जी का मजमून आखिरकार गांधीजी ने तैयार किया।

हिंसक प्रवृत्ति में विश्वास रखने वाले लोगों के बारे में सामान्य रूप से गांधीजी का मत यह था कि वे देश के लिए कुर्बान होने वाले बहादुर लोग हैं। गांधीजी उनके इन गुणों के प्रशंसक थे, पर उन्होंने जो रास्ता चुना था उससे गांधीजी इतिहास नहीं रखते थे। वह मानते थे कि हिंसा के रास्ते अगर स्वराज मिलेगा तो हिंसा के रास्ते चला भी जाएगा। सामान्य रूप से वह मानते थे कि हिंसा के जरिए किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। गांधीजी ने जान-बूझ कर इन नौजवानों को छुड़वाया नहीं, यह बात बिलकुल बेबुनियाद है। बाद में सरकार को समझाकर और हिंसा के आरोप में पकड़े गए लोगों से मिलकर उन्होंने उनकी रिहाई के प्रयत्नों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

देवली जेल में कैद जयप्रकाश नारायण चोरी-छिपे कुछ पत्र बाहर भेजते हुए रंगे हाथ पकड़ लिये गए, तो उन पत्रों में लिखी गई हिंसक विद्रोह की बातों को सरकार ने खूब तूल दिया था। तब गांधीजी ने 'हरिजन' में एक जोरदार लेख लिखकर जयप्रकाश का बचाव किया। उन्होंने लिखा था कि हालांकि हिंसा का रास्ता कांग्रेस का नहीं है, पर इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वह कांग्रेस करेगी। सरकार को जयप्रकाश जैसे वीर पुरुष की निंदा करने का कोई हक नहीं है। उनके देश में किसी ने हिंसक क्रांति की ऐसी योजना बनाई होती तो उसे लोग वीर पुरुष के रूप में पूजते।

इसलिए भारत की मुक्ति के लिए कोई ऐसी योजना बनाए तो अंग्रेज सरकार को उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है।

गांधीजी आजादी की लड़ाई के रास्ते से भटक गए थे?

कांग्रेस में काम करने वाले समाजवादी गांधीजी को लेकर एक गफलत के शिकार हो गए थे। 1934 में जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने दलितों की जागृति, उनकी सेवा और उनके संगठन के लिए 'हरिजन यात्रा' की, तब तमाम समाजवादी नेताओं का कहना था कि गांधीजी स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य रास्ते से दूर जा रहे हैं। देश के लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता से हटकर गांधीजी सामाजिक प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। पर यह विषय समूची लड़ाई की रणनीति का था। स्वतंत्रता के लिए तब तक आखिरी आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। कोई साठ हजार लोग जेल गए थे। उनमें से बहुतेरे लोग एक से अधिक बार जेल गए थे। कार्यकर्ताओं में थोड़ी थकान दिख रही थी। आंदोलन में कहीं-कहीं गिरावट के लक्षण भी गांधीजी को दिखे थे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का कार्यक्रम देकर देश के हजारों कार्यकर्ताओं को शारीरिक-मानसिक विश्राम देने के साथ ही उन्हें विफलता के अहसास से बचा लिया था। दूसरी तरफ, जेल में किए गांधीजी के अनशन के कारण अस्पृश्यता निवारण की दिशा में देश में जो जागृति आई थी, उसे टोस स्वरूप देने की भी जरूरत थी। फिर, हरिजन सेवा का देशव्यापी आंदोलन छेड़कर गांधीजी ने देश के सबसे वंचित वर्ग में कांग्रेस का प्रवेश करा दिया था। 'अंत्यज' कहे जाने वाले लोगों में से अनेक लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बने। उसके बाद 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अंत्यजों के लिए आरक्षित ज्यादातर सीटों पर

कब्जा कर लिया था। इस तरह उस रणनीति से गांधीजी ने कांग्रेस को कमजोर नहीं, मजबूत बनाया था।

गांधीजी सुभाषचंद्र बोस के विरोधी थे?

सुभाषचंद्र बोस के प्रति गांधीजी के रुख को लेकर भी काफी गलतफहमी है। यह तो जाहिर है कि दोनों के साधन एकदम अलग-अलग थे। गांधीजी का अहिंसा में विश्वास था। सशस्त्र क्रांति में उनका विश्वास नहीं था। गांधीजी यह भी मानते थे कि देश को अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। सुभाषबाबू आजादी के लिए विदेशों से सैन्य मदद लेने को सही मानते थे और यह भी मानते थे कि दूसरे विश्वयुद्ध के समय ऐसी मदद हासिल करने का अच्छा मौका है। आजादी के बाद की समाज-रचना के विषय में भी गांधीजी और सुभाष बोस के विचारों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जितना फर्क था। पर उसकी चर्चा यहां प्रासंगिक नहीं है। गांधीजी को लेकर जो गलतफहमी है, वह मुख्य रूप से सुभाषबाबू के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के वाक्ये से ताल्लुक रखती है। तब सुभाषबाबू के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार डॉ. पट्टाभि सीतारामैया के बारे में गांधीजी ने लिखा था कि 'पट्टाभि की हार मेरी हार है'। उनकी यह टिप्पणी गलतफहमी का सबब बनी।

स्विट्जरलैंड में स्वास्थ्य-लाभ के लिए रह रहे विट्टलभाई से सुभाषबाबू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस आज तक जिस (अहिंसा के) रास्ते पर चली है, वह उस समय के लिए ठीक था। अब इस रास्ते को और उसके नेतृत्व को भी बदलने की जरूरत है। उसके स्थान पर प्रगतिशील विचारकों (समाजवादियों, साम्यवादियों और अन्य वामपंथियों) को मिलकर देश के नेतृत्व पर काबिज हो जाना चाहिए। इस बयान के बाद सुभाषबाबू स्वदेश लौटे, तब गांधीजी ने खास उन्हें ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था। और इसीलिए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति चुनता था। तब सुभाषबाबू ने कार्यसमिति में तीन समाजवादियों को लिया था। लेकिन कार्यसमिति में बहुमत तो गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास रखने वालों का था। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सुभाषबाबू के एक साल के कार्यकाल में इस बहुमत और उनके बीच के

मतभेद जब-तब जाहिर होते रहे। उसके बाद के साल में वह दूसरी बार कांग्रेस-अध्यक्ष बनना चाहते थे। कांग्रेस के संविधान के अनुसार उन्हें दूसरी बार उम्मीदवार होने का हक भी था।

कार्यसमिति के बहुमत ने उस साल मौलाना आजाद का नाम सुझाया, तब सुभाषबाबू ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। अपने नाम पर मौन सहमति देने के बाद एकदम आखिरी घड़ी में मौलाना अपनी उम्मीदवारी से पीछे हट गए थे। इस प्रसंग में जवाहरलालजी का नाम भी सुझाया गया था। लेकिन वह अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं थे। अंतिम समय में मौलाना आजाद ने अपनी उम्मीदवारी से साफ-साफ इनकार कर दिया, तब सरदार पटेल की अगुआई में कार्यसमिति के बहुमत ने डॉ. पट्टाभि का नाम सुझाया और काफी आनाकानी के बाद उन्होंने उम्मीदवारी के लिए अपने नाम पर रजामंदी दी। गांधीजी इस सारे प्रकरण में चुप थे। कांग्रेस महासमिति ने सुभाष बाबू को प्रचंड बहुमत से चुना था। फिर गांधीजी का बयान आया कि बहुमत से चुने गए सुभाष बाबू को ही कार्यभार संभालना चाहिए। वैचारिक रूप से चूंकि पट्टाभि के विचार गांधीजी से मेल खाते थे, इसलिए गांधीजी ने लिखा था कि 'पट्टाभि की हार मेरी हार है।' लेकिन गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सुभाषबाबू को अपने अनुकूल कार्यसमिति चुननी चाहिए और अपने ढंग से कार्यभार संभालकर कामकाज आगे चलाना चाहिए।

यह बात सही है कि महासमिति के ज्यादातर सदस्य पट्टाभि की तुलना में सुभाषबाबू को ज्यादा पसंद करते थे, पर साथ ही वे गांधीजी का मार्गदर्शन भी चाहते थे। इसलिए उनकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया कि नए अध्यक्ष गांधीजी से पूछकर अपनी कार्यसमिति चुनें। गांधीजी उस वक्त राजकोट में थे। यह प्रस्ताव त्रिपुरी में पास हुआ था। सुभाषबाबू ने जब इस संबंध में गांधीजी से संपर्क किया तो गांधीजी ने आग्रहपूर्वक यही कहा कि सुभाषबाबू को अपनी मनपसंद की कार्यसमिति चुननी चाहिए और अपनी योजना के अनुसार संस्था को आगे ले जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति का बहुमत सुभाषबाबू के साथ नहीं था। इसलिए वह मुश्किल में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने मामले को महासमिति में ले जाने और उनके समर्थन से नए सिरे से चुने जाने की पेशकश की। महासमिति की बैठक कलकत्ता में हुई। बैठक स्थल के आसपास नारे लगाते हुए ऐसे लोग भी चक्कर

काट रहे थे जो सुभाषबाबू के समर्थक तो थे मगर महासमिति के सदस्य नहीं थे। इस मौके पर महासमिति ने नए अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना।

उसके बाद सुभाषबाबू गुप्त ढंग से देश से बाहर चले गए। उन्होंने जर्मनी जाकर हिटलर के समर्थन से सेना खड़ी करने की योजना उसके सामने रखी। हिटलर ने पहले तो बहुत दिनों तक उन्हें मिलने का मौका ही नहीं दिया, और जब दिया भी, तो उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। बस जर्मनी से, युद्ध के बीच, पनडुब्बी की मार्फत उन्हें जापान पहुंचवा दिया। जापान की सरकार ने हिंदुस्तानी लोगों की 'आजाद हिंद फौज' बनाने की योजना को समर्थन दिया। पर उन लोगों ने बहुत-सी जगहों पर आजाद हिंद फौज को आगे रखकर जापानी फौज को पीछे-पीछे चलाया। पुराने जमाने में किले का दरवाजा खोलने के लिए जिस प्रकार सेनाएं ऊंट की फौज को आगे रखकर, उसे मरने देकर, फिर हाथियों के वजन से दरवाजा तोड़कर किले में बाकी फौज को घुसाती थीं, किसी हद तक कुछ वैसा ही जापानी सेना ने किया।

लेकिन वह इतिहास फिलहाल हमारा विषय नहीं है। यहां तो हमें इतना ही समझने की जरूरत है कि सिद्धांत को लेकर तीव्र मतभेद होने पर भी गांधीजी और सुभाष बोस एक दूसरे का सम्मान करते थे। गांधीजी को भेजे गए एक संदेश में अपने विचारों पर अडिग रहते हुए अंत में सुभाषबाबू लिखते हैं-

'राष्ट्रपिता! भारत की आजादी के इस पवित्र युद्ध में हम आपकी शुभेच्छा और शुभाशीष चाहते हैं।'

गांधीजी ने वर्षों पहले सुभाषबाबू से कहा था कि तुम्हारा रास्ता गलत है, पर अगर इस रास्ते से भी तुम भारत को आजाद करा सको, तो तुम्हें बधाई का सबसे पहला तार मेरा मिलेगा। महायुद्ध के दरम्यान एक दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु हो जाने का समाचार आया, तो गांधीजी ने उनकी मां को सांत्वना का तार भेजा था। अमरीकी पत्रकार लुई फिशर ने गांधीजी से अपनी मुलाकात के दौरान पूछा कि आपने फासीवादियों को समर्थन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर आश्वासन का तार क्यों भेजा, तो गांधीजी ने कहा, 'उनके विचारों के साथ मैं भले सहमत न होऊं, पर उनका देशप्रेम किसी से भी कम न था।' ...क्रमशः अगले अंक में

(मूल गुजराती से हिन्दी अनुवाद राजेंद्र राजन)

अध्यक्ष की कलम से

□ महादेव विद्रोही

युवा शिविर : दिनांक 15 से 18 जनवरी 2020 को मुंबई विश्वविद्यालय एवं एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के 75 छात्र-छात्राओं का एक शिविर पालघर जिले के बेंडगांव में दोस्ती फॉर्म पर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन सर्व सेवा संघ, मुंबई सर्वोदय मंडल तथा सद्भावना संघ की ओर से किया गया था। शिविर को मेरे अलावा सर्वश्री जयंत दिवाण, डॉ.विवेक कोरडे, अविनाश काकडे, शेख हुसैन आदि ने संबोधित किया। शिविर का संचालन बजरंग सोनवणे एवं धनश्री ने किया। शिविर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े विभिन्न प्रश्नों— धर्म, आर्थिक विषमता, राष्ट्रवाद, युवाओं की जिम्मेवारी आदि विषयों पर गहन चर्चा हुई।

यशवंत सिन्हा अहमदाबाद में : भारत सरकार के पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा 18 जनवरी 2020 को मुंबई से राजघाट, दिल्ली तक की यात्रा के दौरान अहमदाबाद पहुंचे। उनके साथ पूरे दिन रहना हुआ। जब वे साबरमती आश्रम में पहुंचे, तब गुजरात विद्यापीठ के कुछ छात्रों ने उनसे मिलकर बताया कि 14 जनवरी को मकरसंक्रांति के दिन जब वे सीएए तथा एनआरसी के विरुद्ध नारे लिखी पतंगों को उड़ा रहे थे, तब पुलिस ने गुजरात विद्यापीठ में प्रवेश किया और उन्हें पतंग उड़ाने से रोका। नियमों के अनुसार पुलिस किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं कर सकती। पर यहां इस नियम को ताक पर रखकर पुलिस ने विद्यापीठ परिसर में प्रवेश किया। यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार है।

यशवंत सिन्हा को लगा कि इस पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करने वाले सभी छात्रों से जाकर मिलना चाहिये। हम सब उनके साथ विद्यापीठ पहुंचे। वहां के छात्र अपनी आपबीती सुना रहे थे। इतने में विद्यापीठ के कुलपति तथा रजिस्ट्रार आये और उन्होंने कहा कि उनकी अनुमति के बगैर यहां आना प्रोटोकॉल का भंग है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था में किसी को आने के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़े, यह पहली बार कहा गया। इसका साफ अर्थ है कि वे लोग सरकार के विरुद्ध होने वाले किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और न ही उसका समर्थन करेंगे। पिछले दिनों गोडसे की जयंती मनायी



गयी, बापू के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों की गयीं, पर इस पर साबरमती आश्रम एवं गुजरात विद्यापीठ मौन रहा। जिस महात्मा गांधी ने इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की, उनके विरुद्ध हो रही गतिविधियों पर इन संस्थाओं का मौन रहना इस बात का सूचक है कि उनके लिए गांधी नहीं, सरकार के पैसे का ज्यादा महत्व है।

शाम को ठाकोरभाई हॉल में सभा हुई। बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न तबकों के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस सभा में यशवंत सिन्हा ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के पहले भी हजारों लोगों को नागरिकता दी गयी है। किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सिर्फ राजनैतिक फायदे के उद्देश्य एवं धार्मिक भेदभाव के लिए उठाया गया कदम है।

उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सीएए के समर्थन में गुजरात पुलिस ने 60 सभाओं की अनुमति दी पर विरोध करने वालों को अनुमति देने में आनाकानी करती रहती है। उन्होंने गुजरात, खासकर अहमदाबाद में लम्बे समय से चली आ रही धारा 144 की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह एक प्रकार से मार्शल लॉ जैसा है। उन्होंने धारा 144 को तोड़ने की घोषणा कर दी। सभा की समाप्ति के बाद सभी लोग धारा 144 का उल्लंघन करते हुए गुजरात कॉलेज स्थित विनोद किनारीवाला की समाधि तक गये। विनोद किनारीवाला 1942 में राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे।

जय जगत यात्रा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा की 150वीं जयंती के अवसर पर जल-जंगल-जमीन पर समाज का स्वामित्व, हिंसा मुक्ति, समता व न्याय और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2019 से (राजघाट, नई दिल्ली से स्वित्जरलैंड तक की) 11 हजार किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा 24 जनवरी 2020 को वर्धा जिला के सेलू पहुंची। यहां सर्व सेवा संघ की ओर से मैं तथा महामंत्री चंदन पाल ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यात्रा 10 देशों से गुजरेगी। यात्रा का समापन 2 अक्टूबर 2020 को होगा। □

सर्व सेवा संघ का अगला अधिवेशन

सर्व सेवा संघ (अखिल भारत सर्वोदय मंडल) का 88वां अधिवेशन दिनांक 30-31 मार्च 2020 (सोमवार-मंगलवार) को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही की अध्यक्षता में कोट्टयम (केरल) में होगा।

सर्व सेवा संघ के अगले अध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक 31 मार्च 2020 को होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी सर्व सेवा संघ की वेबसाइट sarvasevasangh.org से प्राप्त की जा सकती है। लोकसेवकों, सर्व सेवा संघ के सदस्यों की सूची तथा अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी भी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी है। देश के अनेक भागों से कोट्टयम के लिए सीधी गाड़ियां हैं। कुछ गाड़ियां एर्णाकुलम तक जाती हैं या दूसरे रास्ते से तिरुवनंतपुरम जाती हैं। इन गाड़ियों से आने वाले भाई/बहन एर्णाकुलम से गाड़ी बदलें। एर्णाकुलम से कोट्टयम की दूरी करीब 75 कि.मी. है और हर 10-15 मिनट पर बसें मिलती रहती हैं। अधिवेशन स्थल पर निवास की व्यवस्था 29 मार्च 2020 से ही है। कृपया अपने पहुंचने का कार्यक्रम इसी अनुसार बनायें।

अधिवेशन स्थल : सीएसआई रिट्रीट, सी एम एस कॉलेज के पास, कोट्टयम (केरल) यह स्थान कोट्टयम रेलवे स्टेशन से करीब 2.5 कि. मी. तथा केरल परिवहन निगम के बस स्टैन्ड से करीब 3 कि.मी. की दूरी पर है।

डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 स्थान

फिसला भारतीय लोकतंत्र

भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है! लोकतंत्र के पैमाने पर विश्व के 167 देशों की रैंकिंग में भारत 10 स्थान नीचे फिसल गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने यह रिपोर्ट जारी की है। लोकतंत्र के कमज़ोर होने का साफ-साफ़ मतलब यह है कि लोगों की आज़ादी और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हुई है। इसका एक मतलब तो यह भी है कि लोगों के खिलाफ़ सत्ता की ताक़त बढ़ी है। यह सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से भी ज़ाहिर होता है, जिसमें असहमति के खिलाफ़ सरकार की कार्रवाई पर कहा गया है कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। अगर आप इस सेफ्टी वॉल्व को नहीं रहने देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि क्या राज्य अपने अधीन आने वाली ताक़त का इस्तेमाल कर इस तरह असहमति को कुचलना चाहता है? इसे नागरिकता क़ानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ़ प्रदर्शन करने वालों पर सरकार की कार्रवाई से भी समझा जा सकता है। इसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर तैयार होती है।

‘इकोनॉमिस्ट’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने दो संवैधानिक प्रावधानों को रद्द कर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को ख़त्म कर दिया, जो इसको स्वायत्तता देते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नये नागरिकता क़ानून ने बड़ी तादाद में मुसलिम आबादी को नाराज़ कर दिया है, इसने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया है और इस कारण बड़े शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीनबाग़ तो दुनिया भर में ख़बर बन रही है।

इस रिपोर्ट को ग़ौर से देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र के

सूचकांक में भारत की स्थिति लगातार ख़राब हुई है। ख़ासकर पिछले एक साल में स्थिति काफी बदतर हुई है। —सत्य हिन्दी डॉट कॉम

हरियाणा सर्वोदय मंडल की

मतदाताओं से अपील

जैसा कि आप जानते हैं, पंचायती राज अधिनियम के तहत हरियाणा में स्थानीय सरकार (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद) के तहत चुनाव होने जा रहे हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए आपसे अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को निर्वाचित करने की अपील है।

* जो उम्मीदवार धन-बल, शराब-नशा, लालच-प्रलोभन से दूर रहते हुए सादगी से चुनाव लड़ें, भले ही वे गरीब परिवार से हों, उन्हें चुने। * जो उम्मीदवार परिवार-वाद, भाई-भतीजावाद, धर्म, जातिवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर गांव के विकास के प्रति वचनबद्ध रहें, उन उम्मीदवारों को निर्वाचित करें। * जो उम्मीदवार महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों का सम्मान करें, आपसी भाईचारे व सद्भाव को बढ़ावा दें, उन्हें चुनें। * पंचायती राज व्यवस्था (स्थानीय सरकार) को जानने, समझने वाले व संविधान के प्रावधानों को गंभीरता से लागू करने वाले को चुनें। * गांव की सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव व गांव-शहर के हित में जो उनका बेहतर प्रयोग कर सकें, उन्हें चुनें। * जो गांव के विकास एवं ज़रूरतमंदों को रोजी-रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनरेगा, खाद्य-सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा एवं विस्तार दें, उनको वोट दें। * गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के सपनों के तहत गरीब से गरीब, साधारण नागरिक की भागीदारी से गांव के चौतरफा विकास का जो संकल्प ले, उसे वोट दें। * गांव में चल रहे वैध-अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाने और अन्य नशों के खिलाफ़ गांव में वातावरण निर्माण को जो बढ़ावा दें, उन्हें निर्वाचित करें। * जो उम्मीदवार गांव के झगड़े व मन-मुटाव गांव में ही निपटायें व सौहार्द बनाये रखने का प्रयास करें, उनको

चुनें। * जो उम्मीदवार बच्चों, नौजवानों को सही मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करें, उन्हें पंचायत की बागडोर सौंपें। * जो उम्मीदवार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या, पानी बचाओ, बिजली बचाओ व गाय बचाओ का संकल्प लें, उन्हें ही अपना वोट दें। —इन्द्रसिंह दुहन

कौन हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग, सरकार को पता नहीं

‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ में कौन लोग हैं? क्या कन्हैया कुमार वाकई ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के सदस्य हैं? क्या अभिनेत्री दीपिका पादुकोण या स्वरा भास्कर ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ की सदस्य हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने आरटीआई (राइट टू इनफॉर्मेशन) के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि उसे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक आरटीआई आवेदन दायर कर गृह मंत्रालय से पूछा था कि ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ कैसे और कब बना? इसके सदस्य कौन-कौन हैं? गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, ‘गृह मंत्रालय के पास टुकड़े-टुकड़े गैंग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है।’

यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अलग-अलग समय ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के बारे में कई बार सवाल उठाया है, कहा है कि देश में टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरनाक हैं।

जेएनयू हमले के बाद बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। हमले के बाद कुछ लोगों ने ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के लोगों की पिटाई पर खुशी जताई थी।

गोखले ने कहा है कि वह अब चुनाव आयोग में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ़ शिकायत करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘गृह मंत्री अमित शाह जनता से झूठ बोलने और उन्हें गुमराह करने को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें।’

—सत्य हिन्दी डॉट कॉम

गतिविधियां एवं समाचार

प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबा रही सरकार

वाराणसी में 20 जनवरी को नागरिकता अधिकार मंच की ओर से आयोजित नागरिकता अधिकार सम्मेलन में लोगों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गयी। बतौर मुख्य वक्ता स्वराज अभियान के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने कहा कि जिस तरह से एनआरसी को लेकर यूपी सरकार लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही है, वैसी स्थिति नहीं है। यूपी में जो लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, यह गलत है।

कचहरी स्थित शास्त्रीघाट पर आयोजित सम्मेलन में योगेन्द्र यादव ने कहा कि महिलाएं जब सड़क पर उतरती हैं तो ये ही असली आवाज होती है। नयी दिल्ली के शाहीनबाग ने इसे सिद्ध कर दिया है। अब जो आंदोलन शुरू हुआ है, वह पीछे नहीं हटने वाला है। अन्ना और जेपी आंदोलन की तरह सरकार को इस आंदोलन के आगे भी झुकना होगा। जल्द ही पूरे देश में शाहीनबाग जैसे आंदोलन होंगे।

पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि पहले नोटबंदी और अब सीएए तथा एनआरसी का फैसला जो सरकार ने लिया है, वह गलत है। नोटबंदी के दौरान भी कई लोगों की जानें गयी थीं। इस तरह के निर्णयों के आधार पर सरकार देशवासियों को बेवकूफ बना रही है। कार्यक्रम में भगत सिंह-अंबेडकर विचार मंच, स्वराज इंडिया, बीसीएम, नागरिक प्रयास मंच, इंसाफ मंच, एनएपीएम आदि संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे।

बिड़ला भवन से राष्ट्रपिता की तस्वीर हटाने पर तुषार गांधी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन गांधी स्मृति में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देने को लेकर विवाद छिड़ गया है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। तुषार गांधी ने कहा है, 'मैं जब बिड़ला भवन गांधी स्मृति गया तो वहां गांधी जी की हत्या की ऐतिहासिक तस्वीर लगी थी। अब वह हटा दी गई है। मैंने पूछा तो पता चला कि मोदी जी के वहां जाने के बाद उसे हटाकर LED स्क्रीन लगा दी गई है, उस तस्वीर और बाकी तस्वीरों के नीचे कुछ लिखा भी होता था, जिससे लोगों को जानकारी मिलती थी.'

गांधी स्मृति से गांधी जी की ऐतिहासिक तस्वीरें हटाने पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के सवाल पर गांधी स्मृति ने सफाई दी है। गांधी स्मृति के निदेशक दीपंकर श्रीज्ञान ने कहा है कि लोगों की डिमांड पर पुरानी तस्वीरों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ज्यादातर डिजिटल फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसमें ज्यादा मैटेरियल आते हैं। इसलिए गांधी स्मृति ने यह निर्णय लिया है। गांधी स्मृति को डिजिटल बनाया जा रहा है। इस मामले में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि तुषार गांधी महात्मा गांधी के वंशज हैं, अगर वे कोई बात कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीएम दफ्तर को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

डॉ. रामजी सिंह को पद्मश्री सम्मान

स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए बालक रामचंद्र के सामने स्कूल ने आंदोलन में शामिल होने के लिए माफी मांगने की शर्त रख दी थी, लेकिन रामचंद्र का विद्रोही मन नहीं माना। अपना नाम बदलकर रामजी सिंह रख लिया और हाईस्कूल में मोकामा में नामांकन लिया। जमालपुर के इन्दुख गांव में 1927 में जन्मे रामजी सिंह ने उसी समय से गांधी-विचार को अपना लिया। पढ़ाई के बाद गांधी के विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अथक प्रयास किये। टीएमबीयू उस समय गांधी-विचार की पढ़ाई कराने वाला एशिया का पहला केन्द्र बना। रामजी सिंह आचार्य विनोबा द्वारा कहलगांव ने शारदा पाठशाला की स्थापना में अपना योगदान दिया और 1980 से 12 वर्षों तक वहां गांधी-विचार विभाग के संस्थापक अध्यक्ष रहे। जेपी आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने के कारण 1974 में मीसा एक्ट में बंदी रहे और बाद में भागलपुर से सांसद हुए। लेकिन उन्होंने खुद को राजनीतिज्ञ कभी नहीं माना। अपने को शिक्षक मानने वाले 92 वर्षीय डॉ. रामजी सिंह ने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी। डॉ. रामजी सिंह सर्वोदय आंदोलन में रामजी बाबू के नाम से जाने गये। विचार-निष्ठा के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन और वक्तृता में निष्णात रामजी बाबू को भारत सरकार ने इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है।

सेवाग्राम व वाराणसी परिसर में ध्वज-वंजन कार्यक्रम संपन्न

71 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने सेवाग्राम मुख्यालय पर ध्वज-वंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बलिदानों एवं संघर्षों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली है, जिसके लिए देश स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है। अब इस आजादी को बचाने की जिम्मेवारी हम नागरिकों की है। 26 जनवरी 1950 को हमने लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया, हमारा संविधान समता एवं बंधुता पर आधारित है। यहां धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। किन्तु हाल का नागरिकता संशोधन कानून संविधान की इस भावना का खुलेआम उल्लंघन करता है। उन्होंने सरकार से इस संविधान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत गुजर ने किया।

सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर में भी प्रकाशन भवन की छत पर सर्व सेवा संघ प्रकाशन के पूर्व सहयोगी कन्हैया भाई ने ध्वज फहराया। प्रकाशन और परिसर के लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने उपवास करने से रोका

कौमी एकता के लिए गाँधी जी ने अपने जीवन का आखिरी उपवास 13 जनवरी को रखा था। उसी की याद में विगत 13 जनवरी को लखनऊ के विभिन्न संगठनों ने गाँधी प्रतिमा, हजरतगंज पर इकट्ठा हो कर देश की एकता और साम्प्रदायिक उन्माद के खिलाफ एक दिन के उपवास का कार्यक्रम रखा था। सुबह 10 बजे प्रो. रमेश दीक्षित, वंदना मिश्रा, राकेश, प्रो. रूपरेखा वर्मा, नाहीद अक़ील, अमीक जामेई, शावेज़ वारिस, अंकिता मिश्र, तज़ीन, तसनीम, अनम, आदि गाँधी प्रतिमा पर उपवास पर बैठे। अचानक भारी पुलिस बल ने चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ बैठने से मना किया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर सरकार का विरोध करने नहीं आये हैं। गाँधी जी के आखिरी उपवास की तिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने और उनके भजन गाने

आये हैं। पुलिस वालों ने चिल्लाकर कहा कि अपने ऑफिस में जाओ और वहीं भजन करो। ये पूछने पर कि हमारा ऑफिस कहाँ है, पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी के हजरतगंज ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक एक को पहचानते हैं, तुम सब लोग कम्युनिस्ट हो, वहीं जाओ। हालाँकि हममें से एक भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं था। हमने पुलिस को बताया कि हम पार्टी के नहीं हैं, लेकिन पुलिस के लोग लगातार यही कहते रहे वे हमें यहाँ बैठने नहीं देंगे। एक महिला पुलिस ये भी बोली कि गाँधी के सामने उपवास रखने से क्या फ़ायदा, जिसने देश के दो टुकड़े कर दिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व उपकुलपति प्रो. रूपरेखा वर्मा के साथ पुलिस ने बदतमीज़ी की। उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। कहा कि पूरे शहर में आप ने ही दंगे कराए हैं। आप की तलाश में हैं हम। पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और एक आँटो को रोक कर उन्हें ज़बरदस्ती उसमें बैठा दिया। इस तरह पुलिस की बर्बरता की वजह से शांतिपूर्ण उपवास कार्यक्रम नहीं हो सका जबकि न तो वहाँ पर कोई बैनर लगाया गया था न ही कोई प्लेकार्ड। कोई नारे भी नहीं लगाये गए थे।

—मुनीजा

अदालत की दिल्ली पुलिस को फटकार

दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा पाने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि लोग सड़कों पर इसलिए उतर आये हैं क्योंकि जो चीजें संसद के अंदर कही जानी चाहिए थी, वे नहीं कही गयीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है और यदि ऐसा है, तो भी कोई भी व्यक्ति वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान एक समय अविभाजित भारत का ही हिस्सा था।

न्यायाधीश ने कहा कि हमें अपना विचार व्यक्त करने का पूरा हक है लेकिन हम देश को नष्ट नहीं कर सकते। अदालत ने पुलिस के जांच अधिकारी से उन सारे सबूतों को पेश करने को कहा जो दर्शाते हों कि चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद में सभा को कथित रूप से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जांच अधिकारी से ऐसा कानून भी बताने को कहा गया, जिससे पता चले कि वह सभा असंवैधानिक थी।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि उसके पास सबूत के तौर पर बस सभा की ड्रोन तस्वीरें

मैं इनकार करता हूँ

—आमिर अजीज

तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो लेकिन गोलियों से हम मर जायें, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा जरूर है कि मौत से हम खौफ खाते हैं मगर इस खौफ से हम डर जायें, ऐसा जरूरी नहीं मैं आदम और हव्वा की संतान मेरा मादरे वतन हिन्दुस्तान मुहब्बत मेरा रसूल, अल्लाह मेरा खुदा अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान खौफ खाकर डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से, मैं इनकार करता हूँ। जुल्म से इनकार करना इन्कलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है, मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ, मेरी जान का फैसला सात घंटे के एक संसद सत्र से हो, ये मुझे मंजूर नहीं मेरी जान का फैसला एक पहचान पत्र से हो, ये मुझे मंजूर नहीं

मुझे मंजूर नहीं कि मेरी पहचान का फैसला एक पहचान पत्र से हो, सात घंटे के एक संसद सत्र से हो। ऐसे संसद सत्र से, ऐसे पहचान पत्र से मैं इनकार करता हूँ। मेरे वतन में मुझे हक के बजाय, भीख दी जाये, मुझे मंजूर नहीं किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह मुझे लिख दिया जाय, मुझे मंजूर नहीं हक के बजाय भीख दिये जाने से, किसी रजिस्टर में नाम की तरह लिख दिये जाने से मैं इनकार करता हूँ। जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ कफर्यु को जम्हूरियत और नफरत को उसूल कहूँ झूठ को सच कहे, जबान की ऐसी हर हरकरत से मैं इनकार करता हूँ।

हम कागज नहीं दिखायेंगे

—वरुण ग़ोवर


तानाशाह आके जायेंगे, हम कागज नहीं दिखायेंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे हम प्यार की शक्कर घोल के उसको, गट गट गट पी जायेंगे हम कागज नहीं दिखायेंगे यह देश ही अपना हासिल है, जहाँ अशफाक उल्ला बिस्मिल है मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है तुम पुलिस से लड्डु पड़ा दोगे,

तुम मेट्रो बंद करा दोगे हम पैदल पैदल आयेंगे, हम कागज नहीं दिखायेंगे हम मंजी यहीं बिछायेंगे, हम कागज नहीं दिखायेंगे हम संविधान बचायेंगे, हम कागज नहीं दिखायेंगे हम जन गण मन भी गायेंगे, हम कागज नहीं दिखायेंगे तुम जात पात में बांटोगे, हम भात मांगते जायेंगे हम कागज नहीं दिखायेंगे

हैं, अन्य कोई रिकार्डिंग नहीं है। इस पर न्यायाधीश ने कहा, 'क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी है कि उसके पास किसी चीज की रिकार्डिंग करने के यंत्र नहीं हैं? मुझे कोई ऐसा


कानून दिखाइए जो किसी को ऐसी सभा करने से रोकता हो। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या आपने संविधान पढ़ा है। प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। □

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन




यह कैसा अंधेर?

सर्व सेवा संघ प्रकाशन आज से 50-60 वर्ष पहले प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों को फिर से छापने की योजना पर कार्यरत है। 'यह कैसा अंधेर' जमीन के सम्बन्ध में मची धमा-चौकड़ी, अंधेरगर्दी तथा उसके दुष्परिणामों पर केन्द्रित एक वैचारिक दस्तावेज है। इस पुस्तक को लगभग सवा सौ साल पहले लिखा गया था, पर इसमें व्यक्त विचार आज भी मौजूद हैं। सिर्फ संदर्भ बदल गये हैं। टॉलस्टॉय की इस पुस्तक की पृष्ठभूमि रूस का सामंती समाज है। उस समय जिस प्रकार साधारण लोगों को जमीन के हक से वंचित कर सामंतों द्वारा कब्जा जमा लिया गया था, ठीक उसी प्रकार आज विकास के नाम पर सरकार एवं कॉरपोरेट किसानों को जमीन से बेदखल कर उसे हड़प लेने पर उतारू हैं। अक्सर जमीन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान उसी नजरिये से किया जाता है, जिसकी वजह से समस्याएँ जन्म लेती हैं। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन के द्वारा इस समस्या के एक भिन्न एवं रचनात्मक दृष्टि से समाधान का प्रभावशाली प्रयास हुआ है। पर ऐसी कोशिशों की निरंतरता जरूरी है। आज देश में जमीन बचाने व विस्थापन के विरुद्ध सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता संलग्न हैं। नारों व जुमलों के द्वारा एक हद तक प्रभाव छोड़ा जा सकता है, पर समाज का पुनर्गठन सिद्धांतों के आधार पर ही सम्भव है। इस मायने में 'यह कैसा अंधेर' खुद में वैचारिक बुनियाद है और साथ ही नयी बुनियाद रचने की दिशा देती है।



क्या देश का विभाजन अनिवार्य ही था?

अंग्रेजों ने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का भरपूर इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी हित में किया और कई वजहों से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उनके मुकाबले पिछड़ गया। अंग्रेज जब यह समझ गये कि आजादी की माँग करने में हिन्दू ज्यादा सक्रिय हैं और उस दावे को बिलकुल टाला नहीं जा सकता, कुछ-न-कुछ देना ही पड़ेगा, तब शासन सुधार के नाम पर उन्होंने साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। पृथक् चुनाव, स्थान आरक्षण, अल्पसंख्यकों को वीटो अधिकार—ये सब ऐसे कदम थे, जिसने हिन्दू और मुसलमान की खाई को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश अपने हितों के साथ-साथ अपने विचारों एवं परम्पराओं को भी साथ लाए थे। वे शासन में सीमित एवं नियंत्रित अधिकार दे रहे थे। लोगों में जन प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता संचालन की आकांक्षा धीरे-धीरे जागृत और तेज होने लगी थी। संख्या में हिन्दू ज्यादा थे। अतः लोकतंत्र में सत्ता उनके हाथों हस्तांतरित हो जायेगी, मुसलमानों में ऐसी आशंका बन रही थी। इस आशंका को बढ़ाने में कट्टर हिन्दूवादी संगठनों की भी बड़ी भूमिका थी। मुसलमानों को लगने लगा कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र बनेगा। मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के बारे में वे सोचने लगे और धीरे-धीरे इस माँग को मुसलमानों का आम समर्थन मिलता गया। इस तरह विभाजन कई वजहों के मेल का निष्कर्ष है और यही इस किताब की कैफियत है। जिन प्रश्नों से लेखक रू-ब-रू हुए हैं, वे आज भी मौजूद हैं और उनपर विमर्श जारी रहेगा। यह किताब उस विमर्श में सकारात्मक योगदान है।



दंगों का इतिहास

साम्प्रदायिकता के अभिशाप से यदि देश को मुक्त कराना है, दंगों के दौरान होने वाले विध्वंस और नरसंहार को रोकना है तथा देश की एकता-अखंडता को बचाना है तो हमें दंगों के मूल कारणों को समझना होगा, ऐतिहासिक संदर्भों को जानना होगा और उन कारकों को पहचानना होगा जो दंगों की व्यूह-रचना करते हैं, सूत्रधार बनते हैं। 'दंगों का इतिहास' इस दृष्टि से तथ्याधारित पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है।

स्वयं लेखक के शब्दों में, यह पुस्तक साम्प्रदायिक उन्माद से बेचैन मन की खोज है। बीसवीं सदी का भारतीय परिदृश्य इस उन्माद से कलंकित रहा है। जिसे हम इतिहास कहते हैं या समझते हैं, वह वास्तव में एक बड़ा मायावी खेल है। काल-प्रवाह में कुछ घटनाएं होती रहती हैं, बाद में उन घटनाओं के आधार पर जो 'इतिहास' लिखा जाता है, वह वास्तव में उन घटनाओं की इतिहासकारों द्वारा की गयी व्याख्या होती है। इसलिए इतिहास में अंकित तथ्य या घटनाएं उसी प्रकार या उन्हीं कारणों से हुई होंगी, यह कहना मुश्किल होता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है, घटनाओं के आधार पर कवियों या लेखकों ने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए उन घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ताकि समाज उनसे सबक लेकर नैतिक और आध्यात्मिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस पुस्तक के लेखक के मन में बार-बार यह सवाल उठता है कि आखिर मनुष्य मनुष्य के ऊपर इतना निर्मम अत्याचार क्यों करता है? यह पुस्तक इसी खोज की उपज है।

ये तीनों पुस्तकें सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने प्रकाशित की हैं। ये हमारे सभी रेलवे बुक स्टालों पर उपलब्ध हैं। आप अपना क्रयादेश सीधे सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-221001 के पते पर भी भेज सकते हैं। डाक-खर्च अतिरिक्त देय होगा।

—प्रकाशक

कविता

गान्ही जी

-कैलाश गौतम

सिर फूटत हौ, गला कटत हौ, लहू बहत हौ, गान्ही जी
देस बंटत हौ, जइसे हरदी धान बंटत हौ, गान्ही जी
बेर बिसवतै ररूवा चिरई रोज ररत हौ, गान्ही जी
तोहरे घर कऽ रामै मालिक, सबै कहत हौ, गान्ही जी
हिंसा राहजनी हौ बापू, हौ गुंडई, डकैती, हउवै
देसी खाली बम बनूक हौ, कपड़ा घड़ी बिलैती, हउवै
छुआछूत हौ, ऊंच नीच हौ, जात-पांत पंचइती हउवै
भाय भतीजा, भूल भुलइया, भाषण भीड़ भंडइती हउवै
का बतलाई कहै सुनै में सरम लगत हौ, गान्ही जी
केहुक नांही चित्त ठेकाने बरम लगत हौ, गान्ही जी
अइसन तारू चटकल अबकी गरम लगत हौ, गान्ही जी
गाभिन हो कि ठांट, मरकहीं भरम लगत हौ, गान्ही जी
जे अललै बेइमान इहां ऊ डकरै किरिया खाला लम्बा टीका, मधुरी बानी, पंच बनावल जाला चाम सोहारी, काम सरौता, पेटै-पेट घोटाला

एक्को करम न छूटल लेकिन, चउचक कंठी माला
नोना लगल भीत हौ सगरो गिरत परत हौ गान्ही जी
हाड़ परल हौ अंगनै अंगना, मार टरत हौ गान्ही जी
झगरा कऽ जर अनखुन खोजै, जहां लहत हौ गान्ही जी
खसम मार के धूम धाम से गया करत हौ गान्ही जी
उहै अमीरी, उहै गरीबी, उहै जमाना अब्बौ हौ कब्बौ गयल न जाई जड़ से, रोग पुराना अब्बौ हौ
दूसर के कब्जा में आपन पानी दाना अब्बौ हौ जहां खजाना रहल हमेसा, उहै खजाना अब्बौ हौ
कथा कीर्तन बाहर, भीतर जुआ चलत हौ, गान्ही जी
माल गलत हौ दुई नंबर क, दाल गलत हौ, गान्ही जी
चाल गलत, चउपाल गलत, हर फाल गलत हौ, गान्ही जी
ताल गलत, हड़ताल गलत, पड़ताल गलत हौ, गान्ही जी
धूस, पैरवी, जोर, सिफारिश, झूठ, नकल, मक्कारी वाले
देखतै देखत चार दिनन में, भइलै महल अटारी वाले

इनके आगे भकुआ जइसे, फरसा अउर कुदारी वाले
देहलै खून पसीना देहलै तब्बौ बहिन मतारी वाले तोहरै नाव बिकत हौ सगरो, मांस बिकत हौ गान्ही जी
ताली पीट रहल हौ दुनिया, खूब हंसत हौ गान्ही जी
केहू कान भरत हौ, केहू मूंग दरत हौ गान्ही जी
कहई के हौ सोर धोवाइल, पाप फरत हौ गान्ही जी
जनता बदे जयंती बाबू, नेता बदे निसाना हउवै
पिछला साल हवाला वाला, अगिला साल बहाना हउवै
आजादी के माने खाली राजघाट तक जाना हउवै
साल भरे में एक बेर बस रघुपति राघव गाना हउवै
अइसन चढ़ल भवानी सीरे, ना उतरत हौ गान्ही जी
आग लगत हौ, धुवां उठत हौ, नाक बजत हौ गान्ही जी
करिया अच्छर भंडस बराबर, बेद लिखत हौ गान्ही जी
एक समय कऽ बागड़ बिल्ला, आज भगत हौ गान्ही जी

काव्य-सूक्तियां

दुख से दूर पहुँचकर गाँधी।
सुख से मौन खड़े हो
मरते-खपते इंसानों के
इस भारत में तुम्हीं बड़े हो

- केदारनाथ अग्रवाल

एक दिन इतिहास पूछेगा
कि तुमने जन्म गाँधी को दिया था,
जिस समय अधिकार, शोषण, स्वार्थ
हो निर्लज्ज, हो निःशंक, हो निर्द्वन्द्व

सद्यः जगो, संभले राष्ट्र में धुन-से लगे
जर्जर उसे करते रहे थे,
तुम कहाँ थे? और तुमने क्या किया था?

- हरिवंशराय बच्चन

तुम मांस-हीन, तुम रक्तहीन,
हे अस्थि-शेष! तुम अस्थिहीन,
तुम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल,
हे चिर पुराण, हे चिर नवीन!
तुम पूर्ण इकाई जीवन की,

जिसमें असार भव-शून्य लीन;
आधार अमर, होगी जिस पर
भावी की संस्कृति समासीन!

- सुमित्रानंदन पंत

कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के?
वे मनुज से मात्र इतनी बात कहते थे,
रेल, मोटर या कि पुष्पक-यान,
चाहे जो रचो, पर,
सोच लो, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'